भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान,पुणे

FILM AND TELEVISION INSTITUTE OF INDIA, PUNE

(यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के विशिष्ट श्रेणी के अधीन सम विश्वविद्यालय)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

प्रवेश विवरणिका 2025-26

भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान, सम विश्वविद्यालय जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है जो फ़िल्म और टेलीविज़न (टीवी) के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने वाला एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। भा.फ़ि.टे.सं. आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए भा.फ़ि.टे.सं. प्रवेश परीक्षा **2025-26** (भाफिटेसं-ईटी-2025-26) के माध्यम से सिनेमा में ललित कला का स्नातकोत्तर(एमएफए) और विभिन्न विशेषताओं में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (टीवी क्षेत्र में) में प्रवेश प्रदान कर रहा है।

फिल्म स्कंध

भा.फ़ि.टे.सं. का फिल्म स्कंध निम्नलिखित विशेषज्ञताओं के साथ सिनेमा में ललित कला के स्नातकोत्तर (एमएफए - सिनेमा) प्रदान करता है:

तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री

1. निर्देशन एवं पटकथा लेखन में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में ललित कला के स्नातकोत्तर
2. चलचित्रांकन में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में में ललित कला के स्नातकोत्तर
3. संपादन में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में ललित कला के स्नातकोत्तर
4. ध्वनि मुद्रण एवं ध्वनि संरचना में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में ललित कला के स्नातकोत्तर
5. कला निर्देशन और निर्माण संरचना में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में ललित कला के स्नातकोत्तर

दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम

1. **स्क्रीन अभिनय में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में ललित कला के स्नातकोत्तर**

2. पटकथा लेखन फिल्म), टीवी और वेब सीरीज़में (विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में ललित कला के स्नातकोत्तर

टीवी स्कंध

भा.फ़ि.टे.सं. का टीवी स्कंध निम्नलिखित विशेषज्ञताओं के साथ एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रदान करता है:
1. निर्देशन में विशेषज्ञता के साथ टेलीविजन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
2. इलेक्ट्रॉनिक चलचित्रांकन में विशेषज्ञता के साथ टेलीविजन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
3. वीडियो संपादन में विशेषज्ञता के साथ टेलीविजन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
4. ध्वनि मुद्रण और टीवी अभियांत्रिकी में विशेषज्ञता के साथ टेलीविजन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

भा.फ़ि.टे.सं. प्रवेश परीक्षा 2025-26 की महत्वपूर्ण तिथि और समय-सीमा

क्र.सं.	प्रक्रिया / गतिविधि	दिनांक
1	भा.फ़ि.टे.सं.- प्रवेश परीक्षा - 2025 -26 के लिए आवेदन पंजीकरण खिडकी	दि. 10 मार्च,2026 से 6 अप्रैल,2026 , शाम 6.00 बजे तक
2	प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की खिडकी	18 से 25 अप्रैल, 2026
3	चरण-1: लिखित परीक्षा की तिथि	26 अप्रैल, 2026 (दो शिफ्ट)
4	(क) स्क्रीन अभिनय में एमएफए को छोड़कर, सभी कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों के लिए चरण-1 के पेपर-I का परिणाम	घोषणा की जाएगी
	(ख) स्क्रीन अभिनय में एमएफए के लिए चरण-1 का परिणाम	
5	**लिखित परीक्षा अर्थात् चरण-1 का परिणाम (एमएफए में** स्क्रीन अभिनय **को छोड़कर सभी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए)**	घोषणा की जाएगी
6	**(क) एमएफए में** स्क्रीन अभिनय **के लिए ऑडिशन, परफॉर्मेंस और संवाद (चरण-**2)	**जून का दूसरा सप्ताह – जुलाई का दूसरा सप्ताह (संभावित)**
	(ख)मिश्रित फ़ॉर्मेट मूल्यांकन (एमएफए में स्क्रीन अभिनय **को छोड़कर सभी प्रोग्राम/कोर्स के लिए) (चरण-**2)	**जुलाई का दूसरा सप्ताह – जुलाई का चौथा सप्ताह (संभावित)**
7	अंतिम परिणाम:	घोषणा की जाएगी
8	सीट आवंटन	घोषणा की जाएगी
9	दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा	घोषणा की जाएगी
10	कक्षाओं का प्रारंभ	सितंबर का प्रथम सप्ताह-2026 (संभावित)

विषय सूची

क्र.सं.	विषय-सूची	पृष्ठ संख्या
1	**भाग-I :-**	
2	**क. भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (भा.फ़ि.टे.सं.) – सम विश्वविद्यालय के बारे में**	**5**
3	**ख. कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों के बारे में**	**9**
4	**ग. संबद्ध विभाग एवं अनुभाग**	**45**
5	**घ. परिसर में सुविधाएं**	**51**
	भाग-II:	
6	**क. प्रवेश प्रक्रिया 2024-25 के बारे में**	**54**
7	**ख. भा.फ़ि.टे.सं. प्रवेश परीक्षा अनुसूची**	**64**
8	**ग. आरक्षण नीति**	**78**
9	**घ. सामान्य जानकारी, नियम एवं निर्देश**	**84**
	भाग-III:	
	पुणे के बारे में	**94**

भाग-I:

क. भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान (भा.फ़ि.टे.सं.) – सम विश्वविद्यालय के विषय में

इतिहास:

पुणे के पूर्व प्रभात स्टुडियो परिसर में सन् 1960 में " भारतीय फ़िल्म संस्थान " के रूप में स्थापित भाफ़िटेसं, सिनेमा में गुणवतापूर्ण शिक्षा की उच्च विरासत को गौरवान्वित करता है। नई दिल्ली में पूर्व स्थित टेलीविज़न स्कंध को 70 के दशक में पुणे में स्थानांतरित करते हुए, फ़िल्म और टेलीविज़न के प्रशिक्षण को एक ही छत के नीचे लाया गया। सन् 1971 में संस्थान का " भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान " के रूप में पुनः नामांकन किया गया।

अपने प्रारंभ में टेलीविज़न स्कंध, मुख्य रूप से दूरदर्शन के कर्मियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने की व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। तथापि कुछ वर्षों से यह संपूर्ण सुविधाओं से युक्त जो विशेषज्ञताओं के साथ टेलीविज़न में गहन पाठ्यक्रम प्रदान करते हुए एक शैक्षिक विभाग के रूप में विकासित हो गया।

22 अप्रैल 2025 को, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा भा.फ़ि.टे.सं. को यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत "विशिष्ट श्रेणी" में सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया।

दृष्टि एवं मिशन

संस्थान का उद्देश्य फ़िल्म, टेलीविज़न और संबद्ध मीडिया के क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना है, ताकि रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन मिले, स्वतंत्र उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके, और फ़िल्म, टीवी एवं मीडिया उद्योग के लिए कुशल और प्रशिक्षित व्यावसायिक तैयार किए जा सकें। यह संस्थान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने हेतु अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ फ़िल्म और टेलीविज़न शिक्षा के क्षेत्र में नई अवधारणाओं और व्यवहारिक विधाओं का विकास करना चाहता है।

सहयोग

भा.फ़ि.टे.सं., फ़िल्म और टेलीविज़न स्कूलों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सिलेक्ट **(सेंटर इंटरनेशनल डी लिआइसन डेस इकोल्स डी सिनेमा एट डी टेलीविजन)** का सदस्य है । इसके अतिरिक्त, भा.फ़ि.टे.सं. प्रति वर्ष विश्वभर के कई प्रसिध्द फ़िल्म, टीवी तथा मीडिया स्कूलों के सहयोग से छात्र विनिमय कार्यक्रम भी संचालन करता है।

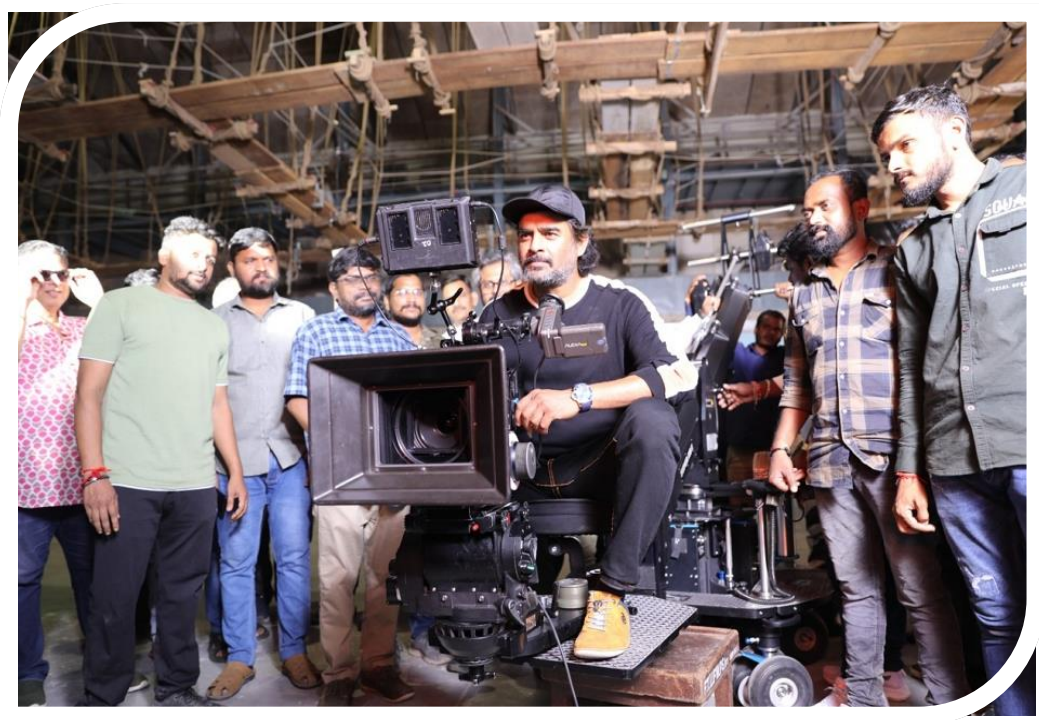

भा.फ़ि.टे.सं., पुणे के फ़िल्म स्टूडियो में भा.फ़ि.टे.सं. के अध्यक्ष , श्री आर. माधवन

पुरस्कार और प्रशंसा:

भा.फ़ि.टे.सं. के छात्रों और पूर्व छात्रों के द्वारा निर्मित फ़िल्मों ने भारत तथा विदेश के फ़िल्म समारोहों में प्रति वर्ष अनेक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। पूर्व छात्रों ने सिनेमा, टेलीविज़न और इससे सम्बद्ध उद्योगों के सभी कार्यों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। पूर्व छात्रों को प्रमुख नागरिक पुरस्कार तथा फ़िल्म पुरस्कार प्राप्त हुए हैं जैसे:

- पद्म विभूषण: 02
- पद्म भूषण: 04
- पद्मश्री: 14
- दादा साहेब फाल्के पुरस्कार: 02
- राष्ट्रीय पुरस्कार: 100+ प्राप्तकर्ता
- अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे ऑस्कर, कान्स, बर्लिन आदि।

भा.फ़ि.टे.सं. की प्रशासनिक संरचना

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान, भा.फ़ि.टे.सं. को 22 अप्रैल, 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है । भा.फ़ि.टे.सं. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन भी पंजीकृत है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव भा.फ़ि.टे.सं., सम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं।

भा.फ़ि.टे.सं. सोसायटी अध्यक्ष के द्वारा चलायी जाती है, जो फ़िल्म, टेलीविज़न, कला, साहित्य अथवा अकादमिक क्षेत्रों की सुप्रसिध्द हस्ती होता है। वर्तमान में यह पद प्रसिद्ध अभिनेता श्री आर. माधवन द्वारा धारित किया गया है।

भा.फ़ि.टे.सं., सम विश्वविद्यालय के कुलपति इसके कार्यकारी और अकादमिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और इसकी नीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करते हैं। श्री धीरज सिंह, भारतीय सूचना सेवा, 1995 बैच के वरिष्ठ अधिकारी वर्तमान में भा.फ़ि.टे.सं. के कुलपति हैं।

ख. भा.फ़ि.टे.सं. के कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों के बारे में

विशेषज्ञता विभाग

भा.फ़ि.टे.सं. के विभाग फिल्म और टीवी स्कंध में विस्तारित हैं। ये विभाग क्रमशः **सिनेमा में ललित कला का स्नातकोत्तर (एमएफए)और टेलीविज़न में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम** प्रदान करते हैं।

संस्थान के वृहद शैक्षणिक उद्देश्यों के साथ-साथ, प्रत्येक विभाग का दार्शनिकता प्रस्तुत किए जाने वाले पाठ्यक्रम के मूलतत्व का मार्गदर्शन करती है।

जबकि प्रत्येक विभाग अपनी विशेषज्ञता के साथ पाठ्यक्रम चलाने के लिए उत्तरदायी है, फ़िर भी एकीकृत और बहुआयामी अध्ययन का अनुभव प्रदान कराने के लिए ये सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं। पुरस्कार विजेता संकाय और सिनेमा के बारे में अति उत्साहित और फ़िल्म और टेलीविज़न में शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित (संकाय सदस्यों) से लैस, ये विभाग उद्योग-मानक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाएँ एवं उपकरण उपलब्ध करवाते हैं।

स्नातकोत्तर डिग्री और स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र कार्यक्रम

तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम

1. निर्देशन और पटकथा लेखन में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में ललित कला का स्नातकोत्तर
2. चलचित्रांकन में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में ललित कला का स्नातकोत्तर
3. संपादन में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में ललित कला का स्नातकोत्तर
4. ध्वनि मुद्रण और ध्वनि संरचना में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में ललित कला का स्नातकोत्तर
5. कला निर्देशन और निर्माण संरचना में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में ललित कला का स्नातकोत्तर

दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम

1. स्क्रीन अभिनय में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में ललित कला का स्नातकोत्तर
2. पटकथा लेखन (फ़िल्म, टीवी और वेब सीरीज़) में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में ललित कला का स्नातकोत्तर

एआईसीटीसीई द्वारा अनुमोदित एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र कार्यक्रम

1. निर्देशन में विशेषज्ञता के साथ टेलीविजन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
2. इलेक्ट्रॉनिक चलचित्रांकन में विशेषज्ञता के साथ टेलीविजन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
3. वीडियो संपादन में विशेषज्ञता के साथ टेलीविजन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
4. ध्वनि मुद्रण और टीवी अभियांत्रिकी में विशेषज्ञता के साथ टेलीविजन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

फ़िल्म स्कंध के बारे में

भा.फ़ि.टे.सं. के फ़िल्म स्कंध द्वारा सात स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जो फ़िल्म निर्माण की कला और शिल्प के बारे में गहन एवं समग्र शिक्षा प्रदान करते हैं। ये कार्यक्रम प्रमुख विषयों पर आधारित हैं : निर्देशन, पटकथा लेखन, चलचित्रांकन, ध्वनि, संपादन, कला निर्देशन और निर्माण संरचना और अभिनय, जो छात्रों को आधारभूत अवधारणाओं से लेकर उन्नत, अभ्यास-आधारित शिक्षा तक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

प्रत्येक कार्यक्रम को सावधानीपूर्वक इस प्रकार संरचित किया गया है कि वह कुशल, संवेदनशील और दूरदर्शी फ़िल्म निर्माताओं एवं पेशेवरों का विकास करे, जो भारतीय फ़िल्म निर्माण की समृद्ध परंपराओं और नवाचारों में रचे-बसे होते हुए वैश्विक सिनेमा की उभरती गतिशीलता से संवाद करने के लिए तैयार हों। हमारे छात्र सिनेमा को आकार देने वाली ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक ताकतों की गहरी समझ विकसित करते हैं, जिससे वे ऐसा काम कर पाते हैं जो समकालीन दर्शकों और सार्वभौमिक मानवीय अनुभवों दोनों के साथ प्रतिध्वनित होता है।

गहन व्यावहारिक प्रशिक्षण, समालोचनात्मक चिंतन और नवीनतम तकनीकी प्रगति के परिचय के माध्यम से, छात्र अपने चुने हुए क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक तकनीकी दक्षता और रचनात्मक अंतर्दृष्टि दोनों अर्जित करते हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम न केवल कलात्मक उत्कृष्टता पर बल्कि स्वतंत्र चिंतन, सहयोगात्मक कार्यशैली तथा सिनेमा के प्रति गहरी जिम्मेदारी की भावना के विकास पर बल देते हैं।

छात्रों को व्यावसायिक उद्योग के लिए तैयार करने के साथ-साथ, फ़िल्म स्कंध सिनेमा, मीडिया अध्ययन और सांस्कृतिक अनुसंधान में उन्नत शैक्षणिक अनुसंधान हेतु एक सुदृढ़ आधार भी प्रदान करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारे स्नातक न केवल उद्योग के लिए तैयार हों, बल्कि सिनेमा के शैक्षिक और कलात्मक विकास में सार्थक योगदान देने में भी सक्षम हों।

छह दशकों से अधिक की विरासत के साथ, फ़िल्म स्कंध को अपने प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों पर बहुत गर्व है - जिनमें से कई ने पद्म सम्मान और दादा साहब फाल्के पुरस्कार सहित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जित किए हैं। उनकी उपलब्धियाँ निरंतर भा.फ़ि.टे.सं. और देश को गौरव और प्रतिष्ठा दिलाती रही हैं।

फ
स्थापना : 1960

निर्देशन एवं पटकथा लेखन विभाग

पिछले कुछ वर्षों में निर्देशन एवं पटकथा लेखन विभाग भा.फ़ि.टे.सं. के सबसे लोकप्रिय पाठ्यक्रमों में से एक के रूप में उभरा है। यह इस तथ्य के बावजूद संभव हुआ है कि निर्देशन एवं पटकथा लेखन पूरी तरह से 'तकनीकी पाठ्यक्रम' नहीं है और शुरुआत में छात्रों को फ़िल्म उद्योग में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है। हमारा पाठ्यक्रम भारतीय सिनेमा में नई आवाज़ों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है और हमें पिछले सात दशकों की अपनी विरासत पर गर्व है। हमारे विभाग के महत्वपूर्ण पूर्व छात्र जैसे कुमार साहनी, मणि कौल, अदूर गोपालकृष्णन, जॉन अब्राहम, कमल स्वरूप, केतन मेहता, सईद मिर्ज़ा, कुंदन शाह, गिरीश कासरवल्ली, जाह्नु बरुआ, नीरद महापात्रा और अन्य पूर्व छात्रों ने भारतीय समानांतर/वैकल्पिक सिनेमा आंदोलन में महत्वपूर्ण आवाज़ों के रूप में अपनी पहचान बनाई है।

हमारे पूर्व छात्रों ने दशकों से फ़िल्म उद्योग में सफल और लोकप्रिय फ़िल्मों के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनमें विधु विनोद चोपड़ा, श्रीराम राघवन, रजत कपूर, पी. कुमार वासुदेव, पंकज पराशर और अन्य शामिल हैं। हाल ही में, कान्स फ़िल्म समारोह, 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पायल कपाड़िया ने समकालीन सिनेमा में अपनी महत्वपूर्ण पहचान स्थापित की है। भा.फ़ि.टे.सं. में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम में निर्देशन और पटकथा-लेखन विभाग का महत्वपूर्ण स्थान है और हमारा मुख्य उद्देश्य सिनेमा के सपने को जीवित बनाए रखना है।

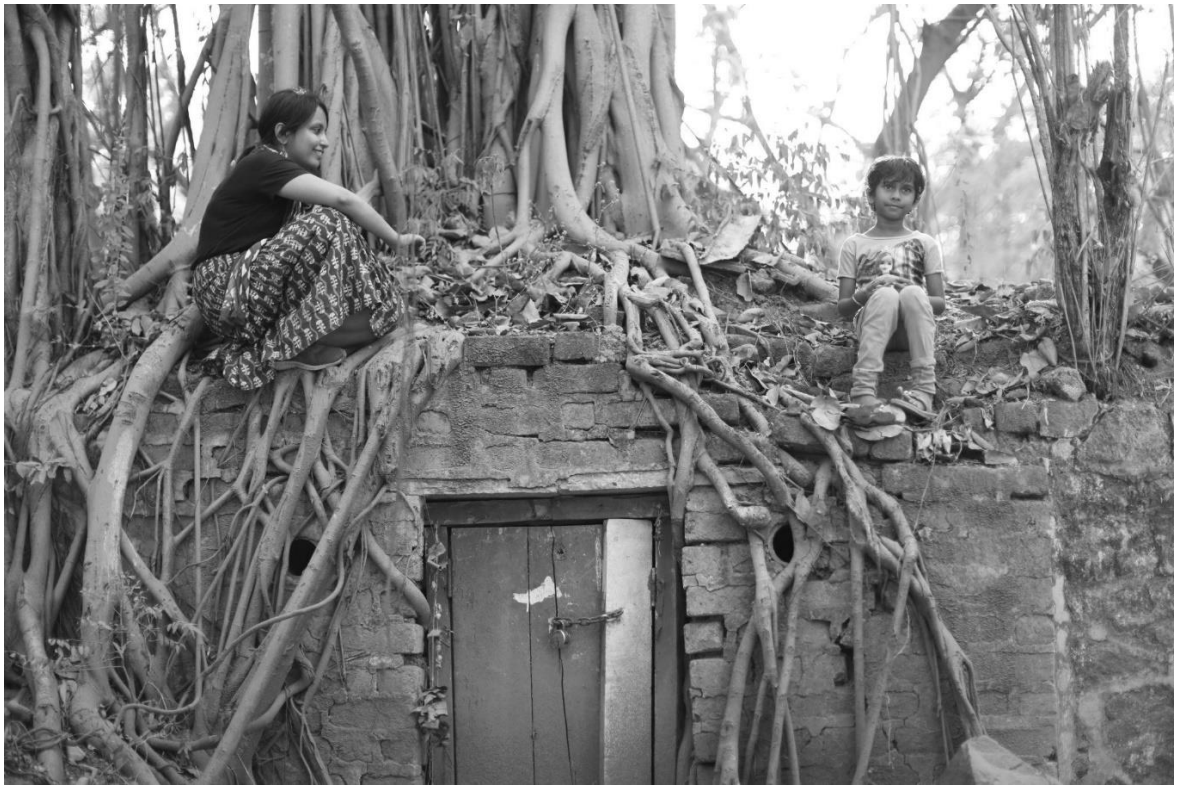

निर्देशन एवं पटकथा लेखन में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में ललित कला के स्नाककोत्तर

निर्देशन और पटकथा लेखन में विशेषज्ञता के साथ "सिनेमा में ललित कला के स्नातकोत्तर कार्यक्रम" 3-वर्षीय पाठ्यक्रम के रूप में संरचित किया गया है, जो छात्रों को सिनेमा के जन्म से लेकर अब तक के ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक विकास की गहरी समझ प्रदान करता है और उन्हें भारतीय सिनेमा की विविधता और गहराई से प्रेरणा लेने में सक्षम बनाता है।

हमारा मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे देश के उभरते कलाकार अपने समय का समग्र अवलोकन कर सकें और ऐसी कहानियाँ प्रस्तुत कर सकें जो मानवीय संवेदनाओं को पुनर्जीवित करें। इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले छात्र तकनीकी विकास के अनुसार भविष्य के लिए तैयार हों और कहानी कहने के नए रूपों और क्षेत्रों का अन्वेषण करने में भी सक्षम हों।

पाठ्यक्रम की अवधि: 3 वर्ष (6 सत्र)

स्थानों की कुल संख्या: 11

पात्रता के मानदण्ड :

किसी भी शाखा में स्नातक की पदवी या उसके समकक्ष

संकाय सदस्य:

संदीप चटर्जी, प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष
वैभव अबनावे, सहयोगी प्राध्यापक
डॉ. प्रसाद ठाकुर, सहयोगी प्राध्यापक
सिद्धार्थ सिन्हा, सहायक प्राध्यापक
गणेश गायकवाड़, सहायक प्राध्यापक

चलचित्रांकन विभाग

भा.फ़ि.टे.सं. का चलचित्रांकन विभाग अपने प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों के लिए प्रसिद्ध है—ऐसे चलचित्रांकनकार जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दृश्य अभिव्यक्ति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और स्थायी योगदान दिया है। हमारा शैक्षणिक उद्देश्य प्रत्येक छात्र में "दृश्य दृष्टि" का विकास करना है, जो केवल तकनीकी संचालन तक सीमित न रहे, बल्कि सिनेमा की भाषा की समझ के साथ एक अनूठी कलात्मक शैली को भी निखारे।

पाठ्यक्रम के दौरान, छात्र धीरे-धीरे जटिल होती लाइटिंग तकनीकों और प्रगत अभ्यासों को सीखते हैं । अध्ययन डिजिटल कैमरों का उपयोग कर क्रमिक निर्देशों के माध्यम से सुलभ बनाया जाता है। भाफ़िटेसं का चलचित्रांकन विभाग पूरी तरह से सुसज्जित दो इन-हाउस शूटिंग फ्लोर से लैस है, जहाँ लाइटिंग रिग्स और डिजिटल लैब्स कलर ग्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से फिल्मांकन और लाइटिंग प्रैक्टिकल का अभ्यास कराया जाता है।

चलचित्रांकन में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में ललित कला के स्नातकोत्तर

यह कार्यक्रम एक चलचित्रांकनकार की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है, जो पटकथाओं को सिनेमा की वास्तविकता में बदलने में निभाई जाती है।यह एक अत्यधिक व्यावहारिक कार्यक्रम है, जो छात्रों को व्यावसायिक सिनेमा उपकरणों के साथ काम करने का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है। तकनीकी दक्षता के साथ-साथ, छात्र फ़िल्म इतिहास और विश्लेषण में भी मजबूत आधार प्राप्त करते हैं। पाठ्यक्रम में कथा और गैर-कथा, दोनों प्रकार की कहानी कहने की विधाओं पर गहन प्रशिक्षण शामिल है। कार्यक्रम का समापन एक लघु कथा थीसिस फ़िल्म परियोजना के साथ होता है, जिसमें छात्र अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग कर एक प्रभावशाली और सजीव दृश्य कथा प्रस्तुत करते हैं।

पाठ्यक्रम के दौरान, छात्र धीरे-धीरे जटिल होती लाइटिंग तकनीकों और प्रगत अभ्यासों को सीखते हैं । अध्ययन डिजिटल कैमरों का उपयोग कर क्रमिक निर्देशों के माध्यम से सुलभ बनाया जाता है।

पाठ्यक्रम की अवधि: 3 वर्ष (6 सत्र)

स्थानों की कुल संख्या: 11

पात्रता के मानदण्ड : किसी भी शाखा में स्नातक की पदवी या उसके समकक्ष

संकाय सदस्य:

इंद्रनील लाहिरी, सहयोगी प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष
टी. थिवाकरन, सहायक प्राध्यापक
मालिनी दसारी, सहयोगी प्राध्यापक
देबाशीष बॅनर्जी, सहायक प्राध्यापक

संपादन विभाग

1960 में स्थापित, संपादन विभाग सिनेमाई शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है, जो सैद्धांतिक समझ और व्यावहारिक प्रशिक्षण का संतुलित मिश्रण प्रदान करता है। यह कार्यक्रम छात्रों को संपादन कला में गहराई से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है, जहाँ वे वे छवि, ध्वनि और कथानक संरचना की शक्ति को प्रत्यक्ष अभ्यासों, मास्टरक्लास और अंतःविषय सहयोगों के माध्यम से अन्वेषण करते हैं। तकनीकी कौशल में सटीकता और सौंदर्यात्मक संवेदनशीलता के विकास पर विशेष ज़ोर देते हुए, विभाग प्रत्येक छात्र की संपादन क्षमता को सशक्त रूप से निखारता है।

विभाग की विरासत उन प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों की सूची में परिलक्षित होती है, जिन्होंने भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उद्योग में उनका निरंतर प्रभाव और सक्रियता विभाग की स्थायी प्रभावशीलता और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

भाफ़िटेसं पुणे का संपादन विभाग भारतीय फ़िल्म शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। गत कुछ वर्षों से इसने अनेक कुशल संपादकों और फ़िल्म निर्माताओं को प्रशिक्षित किया है। विभाग आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले कंप्यूटर सिस्टम (मॅक और विंडोज दोनों प्लेटफ़ॉर्म पर) और प्रत्येक छात्र के लिए व्यक्तिगत संपादन क्यूबिकल शामिल हैं।

छात्रों को उद्योग मानक नॉन-लिनियर संपादन सॉफ़्टवेयर में व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें उन्नत ऑनलाइन संपादन सेटअप में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होता है। यह उन्हें संपादन की वर्तमान पोस्ट-प्रोडक्शन कार्यप्रणाली को संपादन संकाय सदस्य के करीबी मार्गदर्शन में समझने में मदद करता है।

इस कार्यक्रम को अनुभवी उद्योग पेशेवरों द्वारा आयोजित मास्टर वर्कशॉप के माध्यम से और समृद्ध किया जाता है। इन कार्यशालाओं के दौरान छात्र सीधे सक्रिय संपादकों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और वास्तविक दुनिया के अनुभव से सीखते हैं। तकनीकी कौशल के साथ-साथ, शिक्षण में सिनेमा की सौंदर्यशास्त्र और कहानी कहने की कला पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। छात्र कथानक संरचना, रिदम, समय और छवि एवं ध्वनि के आपसी संबंध को समझना सीखते हैं।

इस मजबूत सैद्धांतिक आधार की सहायता से छात्र अपने विचारों और रचनात्मक दृष्टिकोण को संपादन की टाइमलाइन पर स्पष्ट, सुसंगत और अर्थपूर्ण ऑडियो-विज़ुअल कार्य में रूपांतरित करना सीखते हैं। दशकों के दौरान, इस विभाग ने अनेक सफल संपादकों को तैयार किया है, जिन्होंने भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान दिया है। भाफ़िटेसं की नई संपादक पीढ़ी इस समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाते हुए उच्च गुणवत्ता वाला कार्य प्रस्तुत कर रही है, जो न केवल भारतीय सिनेमा को समृद्ध करता है बल्कि वैश्विक फ़िल्म समुदाय में भी अपनी छाप छोड़ता है।

संपादन में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में ललित कला के स्नातकोत्तर

संपादन मे विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में ललित कला का स्नातकोत्तर कार्यक्रम,छात्रों को सिनेमाई कहानी कहने की कला और तकनीक में ठोस आधार प्रदान करता है, जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और समकालीन पोस्ट-प्रोडक्शन प्रथाओं दोनों पर आधारित है। सैद्धांतिक अध्ययन, व्यावहारिक प्रशिक्षण और विषय विशेषज्ञों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं के जीवंत संयोजन के माध्यम से, छात्र विचारशील संपादकों के रूप में विकसित होते हैं, जो कथा और गैर-कथा दोनों शैलियों को आकार देने में सक्षम होते हैं।

कार्यक्रम की समाप्ति तक, स्नातक संपादन तकनीकों में व्यापक दक्षता, उभरती तकनीकों और कार्यप्रणालियों की स्पष्ट समझ, तथा सिनेमा की कला और उद्योग के प्रति समालोचनात्मक दृष्टि के साथ तैयार होते हैं। सशक्त सहयोग और संवाद कौशल के साथ, वे तेजी से बदलते सिनेमा परिदृश्य में रचनात्मक और सार्थक योगदान देने में पूरी तरह सक्षम होते हैं।

पाठ्यक्रम की अवधि: 3 वर्ष (6 सत्र)

स्थानों की कुल संख्या: 11

पात्रता के मानदण्ड : किसी भी शाखा में स्नातक की पदवी या उसके समकक्ष

संकाय सदस्य:
सुमित कुमार, प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष
अमलान चक्रवर्ती, सहायक प्राध्यापक
देबाशीष सरकार, सहायक प्राध्यापक
ए.वी. नारायणन, सहयोगी प्राध्यापक
फणी किरण दमारा, सहायक प्राध्यापक

ध्वनि मुद्रण एवं ध्वनि संरचना विभाग

भा.फ़ि.टे.सं. का ध्वनि विभाग अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व करता है, जो उसके प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों की शानदार सूची में परिलक्षित होती है, जिन्होंने भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फ़िल्म और मीडिया उद्योग में उनका निरंतर प्रभाव विभाग की स्थायी प्रभावशीलता और सिनेमाई ध्वनि शिक्षा में उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

विभाग डिजिटल और एनालॉग दोनों तकनीकों का संतुलित समावेश प्रदान करता है, जिसमें टेप और डिस्क आधारित सिस्टम शामिल हैं। यह संकर दृष्टिकोण छात्रों को परंपरागत तकनीकों और समकालीन कार्यप्रणालियों दोनों पर आधारित विकसित हो रही ऑडियो प्रथाओं की व्यापक और व्यावहारिक समझ विकसित करने में सक्षम बनाता है।

सैद्धांतिक आधार को गहन व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ जोड़ने वाले एक ठोस और समग्र पाठ्यक्रम के माध्यम से, छात्र अंतःविषय और ध्वनि-विशेष अभ्यासों की विस्तृत श्रृंखला में संलग्न होते हैं। ध्वनि विशेषज्ञता के भीतर और बाहर आयोजित ये अभ्यास अनुभवजन्य अधिगम के माध्यम से मुख्य ऑडियो अवधारणाओं की समझ को गहरा करने के लिए संरचित किए गए हैं। जैसे-जैसे छात्र आगे बढ़ते हैं, पाठ्यक्रम धीरे-धीरे स्थान रिकॉर्डिंग, साउंड एडिटिंग, साउंड डिज़ाइन और मिक्सिंग तकनीकों जैसे विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञता पर बल देता है।

विभाग में दो अत्याधुनिक साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो हैं, जो सराउंड मिक्सिंग सुविधाओं से युक्त हैं। इसके अलावा, यहां पोर्टेबल डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर, एचडीडी-आधारित वर्कस्टेशन, उन्नत आउटबोर्ड इफेक्ट प्रोसेसर, ऑटोमेटेड मिक्सिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक लूपिंग टूल्स और एक सुसज्जित इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशाला भी मौजूद है।

विभाग में दो अत्याधुनिक साउंड री-रिकार्डिंग स्टूडियो हैं, जो सराउंड मिक्सिंग सुविधाओं से सुसज्जित हैं, साथ ही संगीत, डबिंग और इफ़ेक्ट्स रिकॉर्डिंग के लिए समर्पित दो रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी उपलब्ध हैं। इसके व्यापक उपकरण संग्रह में स्टूडियो और लोकेशन माइक्रोफोन, पोर्टेबल एनालॉग और डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर, एचडीडी-आधारित वर्कस्टेशन, उन्नत आउटबोर्ड इफ़ेक्ट प्रोसेसर, स्वचालित मिक्सिंग सिस्टम और पूरी तरह सुसज्जित इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशाला शामिल हैं। तकनीकी दक्षता और रचनात्मक नवाचार दोनों पर विशेष बल देते हुए, ध्वनि विभाग छात्रों को कुशल और बहुआयामी पेशेवर बनाने के लिए तैयार करता है, जो

सिनेमा और संबंधित मीडिया में ध्वनि के भविष्य को आकार देने में सक्षम हों। विभाग लगातार उभरती तकनीकों पर नज़र रखता है और समय-समय पर उन्हें पाठ्यक्रम में सम्मिलित करता है।

ध्वनि मुद्रण और ध्वनि संरचना में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में ललित कला का स्नातकोत्तर एक विशेषीकृत कार्यक्रम है, जिसे छात्रों को उन्नत तकनीकी दक्षताएँ प्रदान करने तथा फ़िल्म, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले ध्वनि निर्माण के लिए आवश्यक कलात्मक सिद्धांतों में ठोस आधार विकसित करने के लिए संरचित किया गया है।

ध्वनि मुद्रण एवं ध्वनि संरचना में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में ललित कला के स्नातकोत्तर

पाठ्यक्रम में मुख्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जैसे लोकेशन साउंड रिकॉर्डिंग, साउंड मिक्सिंग, पोस्ट-प्रोडक्शन साउंड डिज़ाइन, और दृश्यात्मक कथाओं के साथ साउंड का समेकन। छात्रों को उद्योग-

मानक उपकरणों और कार्यप्रणालियों के माध्यम से व्यापक व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है, जिससे वे ध्वनि निर्माण (साउंड प्रोडक्शन) में पेशेवर करियर के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं।

सैद्धांतिक ज्ञान को गहन व्यावहारिक अनुभव के साथ सहज रूप से संयोजित करके, यह कार्यक्रम रचनात्मक अभिव्यक्ति और तकनीकी उत्कृष्टता दोनों को बढ़ावा देता है। इससे छात्र सिनेमा में ध्वनि की व्यापक और सूक्ष्म समझ विकसित करने में सक्षम होते हैं।

पाठ्यक्रम की अवधि: 3 वर्ष (6 सत्र)

स्थानों की कुल संख्या: 11

पात्रता के मानदण्ड : किसी भी शाखा में स्नातक की पदवी या उसके समकक्ष

संकाय सदस्य:

हरीश के.एम, प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष
मोनाल अरोन, सहायक प्राध्यापक
मधु अप्सरा,सहयोगी प्राध्यापक
कामोद खराडे, सहयोगी प्राध्यापक
रमनदीप मल्होत्रा, सहायक प्राध्यापक
मनोज काथे, सहायक प्राध्यापक

कला निर्देशन और निर्माण संरचना विभाग

कला निर्देशन और निर्माण संरचना सिनेमाई दृश्यात्मक सौंदर्यशास्त्र और कथानक की दुनिया को आकार देने में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पिछले तीन दशकों में, यह विभाग खुद को विश्व के कुछ चुनिंदा फ़िल्म संस्थानों में स्थापित कर चुका है, जो निर्माण संरचना को अपने पाठ्यक्रम का मूलभूत हिस्सा प्रदान करते हैं।

शैक्षणिक अध्ययन और उद्योगिक अभ्यास के बीच सेतु स्थापित करने के लिए, विभाग सक्रिय रूप से अनुभवी पेशेवरों के साथ सहयोग करता है। हम उद्योग विशेषज्ञों द्वारा संचालित कार्यशालाओं और सक्रिय संवादात्मक (इंटरैक्टिव) सत्रों का आयोजन करते हैं, जो छात्रों को मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, वर्तमान रुझानों से अवगत कराते हैं और वास्तविक दुनिया के अनुभव कक्षा में लाते हैं। ये पहल न केवल छात्रों की पेशेवर तैयारी को सशक्त बनाती हैं, बल्कि विभाग के सतत विकास और बदलते उद्योग मानकों के अनुरूप बनाए रखने में भी योगदान देती हैं।

कला निर्देशन और निर्माण संरचना में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में ललित कला के स्नातकोत्तर

कला निर्देशन और निर्माण संरचना कार्यक्रम छात्रों को सिनेमा निर्माण संरचना की कला, विज्ञान और तकनीक में गहराई से डूबने का अनूठा अवसर प्रदान करता है। यह कार्यक्रम छात्रों को दृश्य कलाओं (विजुअल आर्ट्स) और सौंदर्यशास्त्र, निर्माण संरचना के तरीके और तकनीक, बजट निर्धारण और प्रबंधन जिम्मेदारियों एवं डिलीवरबल्स की समझ से लैस करने के लिए संरचित किया गया है। हमारा पाठ्यक्रम नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है ताकि छात्र दृश्य कलाओं (विजुअल आर्ट्स) और सौंदर्यशास्त्र के साथ-साथ निर्माण संरचना के लिए आवश्यक व्यावहारिक तरीके, तकनीक और जिम्मेदारियों की गहन समझ प्राप्त कर सकें।

पाठ्यक्रमगत गतिविधियों का समर्थन अनुभवी तकनीशियनों, बढ़ई, चित्रकारों और शिल्पकारों की समर्पित समूह द्वारा किया जाता है, जिससे छात्रों को व्यावहारिक और सहयोगात्मक अधिगम का अनुभव मिलता है। कार्यक्रम में अनुभवी उद्योग पेशेवरों द्वारा नियमित कार्यशालाएँ भी शामिल हैं। इन सत्रों के माध्यम से छात्र वर्तमान प्रथाओं की मूल्यवान जानकारी प्राप्त करते हैं, विशेषज्ञों के साथ संवाद कर सकते हैं, और क्षेत्र में सफल करियर बनाने के लिए आवश्यक व्यावहारिक कौशल विकसित कर सकते हैं।

पाठ्यक्रम की अवधि: 3 वर्ष (6 सत्र)

स्थानों की कुल संख्या: 11

पात्रता के मानदण्ड :

अप्लाइड आर्टस, आर्किटेक्चर, पेंटिग, स्कल्प्चर, इन्टिरियर डिज़ाइन में अथवा ललित कला (फाइन आर्टस) से संबंधित क्षेत्र में स्नातक की पदवी अथवा समकक्ष

संकाय सदस्य:

आशुतोष कविश्वर, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
अभिजीत दास, सहयोगी प्राध्यापक
निहार रंजन भट्टाचार्य, सहयोगी प्राध्यापक
भास्कर गुप्ता, सहायक प्राध्यापक
जान्हवी बोडके, सहायक प्राध्यापक

स्क्रीन अभिनय विभाग

भाफ़िटेसं का स्क्रीन अभिनय विभाग अपनी समृद्ध विरासत के लिए जाना जाता है, जो संस्थान की स्थापना से ही चली आ रही है। दशकों से, हमें भारत के सबसे सम्मानित और कुशल कलाकारों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्राप्त हुआ—ऐसे कलाकार जिनके कार्यों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। हमारे प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों में न केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अभिनय पुरस्कार विजेता शामिल हैं, बल्कि उन्हें पद्म पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि, 2024 में हमारे एक पूर्व छात्र को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान, दादासाहेब फाल्के पुरस्कार, से सम्मानित किया गया । हमारे पूर्व छात्रों में ऐसे भी व्यक्ति शामिल हैं, जिन्होंने बाद में देश की सेवा करते हुए कैबिनेट मंत्री और संसद सदस्य के रूप में योगदान दिया है।

हमारी सुविधाओं में दो वातानुकूलित स्टूडियो-सह-कक्षाएँ, एक एम्फीथिएटर और एक खुला गतिविधि क्षेत्र शामिल हैं, साथ ही ऐतिहासिक प्रभात स्टूडियो में स्थित एक हेरिटेज स्टूडियो-सह-कक्षा का उपयोग भी उपलब्ध है।

हमारे अनुभवी संकाय सदस्य छात्रों को व्यावहारिक, अनुभवपरक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, ताकि वे कुशल, रचनात्मक और सूक्ष्म दृष्टि वाले स्क्रीन कलाकार बन सकें। हमारा उद्देश्य ऐसे कलाकारों का पोषण करना है, जो न केवल अपने अभिनय कौशल में उत्कृष्ट हों, बल्कि सिनेमा और मंचन की बदलती दुनिया में सार्थक योगदान देने में भी सक्षम हों।

स्क्रीन अभिनय में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में ललित कला के स्नातकोत्तर

यह व्यापक दो वर्षीय स्क्रीन अभिनय कार्यक्रम छात्रों को अभिनय की बदलती दुनिया की गहन समझ से लैस करने के लिए संरचित किया गया है, जिसमें विशेष रूप से स्क्रीन प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुविचारित पाठ्यक्रम के माध्यम से, यह कोर्स प्रत्येक छात्र की कल्पना शक्ति और भावनात्मक गहराई का पोषण करता है, ताकि वे मंच पर तथा कैमरे के सामने दोनों जगह सहज और प्रामाणिक रूप से अभिव्यक्त हो सकें।

प्रशिक्षण में शारीरिक जागरूकता और नियंत्रण को बढ़ाने वाले योग, कलारीपयट्टु और नृत्य जैसी शारीरिक विधाएँ शामिल हैं। कार्यक्रम के मूल घटक में सुधार, वाणी और उच्चारण, एकल अभिनय (मोनोलॉग) और दृश्य कार्य शामिल हैं—जो प्रदर्शन के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक पहलुओं में समग्र विकास सुनिश्चित करते हैं।

सीखने के अनुभव को और समृद्ध बनाने के लिए, यह कार्यक्रम रंगमंच और सिनेमा की दुनिया के प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं और मास्टरक्लासेस से समर्थित है, जो छात्रों को पेशेवर उद्योग की वास्तविक जानकारी और अनुभव प्रदान करती हैं।

पाठ्यक्रम की अवधि: 2 वर्ष (4 सत्र)

स्थानों की कुल संख्या: 16

पात्रता के मानदण्ड : किसी भी शाखा में स्नातक की पदवी या उसके समकक्ष

संकाय सदस्य:
बेंजामिन गिलानी, मेंटर
सिद्धार्थ शास्ता, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
जिजॉय पी.आर.,सहयोगी प्राध्यापक
संजय मोरे, सहायोगी प्राध्यापक
समृद्धि दत्ता, सहायक प्राध्यापक

स्क्रीन लेखन विभाग

2004 में स्थापित, भाफ़िटेसं का स्क्रीन लेखन विभाग देश का पहला ऐसा विभाग था, जिसने समर्पित स्क्रीन लेखन कार्यक्रम प्रस्तुत किया। स्क्रीन लेखन शिक्षा में अग्रणी, यह विभाग गहन और समग्र शिक्षा प्रदान करता है, ताकि अगली पीढ़ी के स्क्रीन लेखक और कथाकार विकसित हो सकें—जो अपनी अनूठी कलात्मक आवाज़ बनाए रखते हुए सिनेमा और मीडिया उद्योग की लगातार बदलती दुनिया के प्रति संवेदनशील रहें।

यह कार्यक्रम विविध माध्यमों—सिनेमा, टेलीविज़न, वेब सीरीज़ और उभरते डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में—मनोरंजक और प्रभावशाली कथाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए संरचित किया गया है। भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में आधारित यह पाठ्यक्रम छात्रों को कथा कथन की परंपराओं में गहराई से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है, साथ ही नवीनतम रूपों और नई अभिव्यक्तियों का अन्वेषण करने में सक्षम बनाता है। स्थापना के समय से ही, विभाग ने कई स्क्रीन लेखकों को प्रशिक्षित किया है, जिन्होंने ऐसी प्रशंसित फ़िल्में और टेलीविज़न सीरीज लिखी हैं, जो व्यापक और विविध दर्शकों से जुड़ती हैं। उनके कार्यों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित फ़िल्म समारोहों और पुरस्कारों में मान्यता मिली है, जिनमें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार, फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार, बर्लिनाल और एमी अवार्ड्स शामिल हैं।

एक जीवंत रचनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करता यह विभाग अपने पूर्व छात्रों और उद्योग पेशेवरों के गतिशील नेटवर्क से लाभान्वित होता है, जो सक्रिय रूप से छात्रों का मार्गदर्शन और सहयोग करते रहते हैं। यह निरंतर आदान-प्रदान सीखने, नवाचार और कलात्मक उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देता है, जिससे हमारे स्क्रीन लेखक भारतीय और वैश्विक सिनेमा की कथा कथन परंपराओं में सार्थक योगदान देने में सक्षम बनते हैं।

स्क्रीन लेखन (फ़िल्म , टेलीविज़न एवं वेब सीरीज़) में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में ललित कला के स्नातकोत्तर

सिनेमा में ललित कला के स्नातकोत्तर (स्क्रीनलेखन) कार्यक्रम एक पेशेवर पाठ्यक्रम है, जिसका उद्देश्य अग्रगामी स्क्रीन लेखक तैयार करना है, जो स्क्रीन लेखन की कला, कौशल और व्यवसाय में निपुण हों। छात्रों का मार्गदर्शन अनुभवी संकाय और उद्योग विशेषज्ञ दोनों द्वारा किया जाता है, जबकि वे मूल फीचर फ़िल्म की पटकथा, पूर्ण वेब सीरीज मार्गदर्शिका, और सहयोगात्मक लेखन परियोजना लिखते हैं, साथ ही स्क्रीन लेखन के आवश्यक सिद्धांत और प्रासंगिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। फ़िल्मों का अवलोकन और विश्लेषण उन्हें सिनेमा की कहानी कहने की भाषा से परिचित कराता है, जबकि विभिन्न लेखन अभ्यास उनके व्यक्तिगत और विशिष्ट दृष्टिकोण को खोजने और विकसित करने में मदद करते हैं। बौद्धिक संपदा(आईपी) और कानूनी पहलुओं का परिचय, मुख्यधारा के उद्योग परिदृश्य और स्वतंत्र सिनेमा की पारिस्थितिकी तंत्र की समझ उन्हें कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद तुरंत पेशेवर कार्य में उतरने के लिए तैयार करती है। अंतिम सत्र में आयोजित गहन विचार प्रस्तुति (पिचिंग) और कहानी-वाचन (नैरेशन) कार्यशाला के बाद, कार्यक्रम का समापन विचार प्रस्तुति (पिचिंग) मैराथन के साथ होता है, जिसमें छात्रों को अपने कार्य को फ़िल्म उद्योग के विभिन्न हितधारकों के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है।

पाठ्यक्रम की अवधि: 2 वर्ष (4 सत्र)

स्थानों की कुल संख्या: 16

पात्रता के मानदण्ड : किसी भी शाखा में स्नातक की पदवी या उसके समकक्ष

संकाय सदस्य:

सुमित कुमार, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (प्रभारी)
वैभव जाधव, सहयोगी प्राध्यापक
समीर कुमार शर्मा, सहयोगी प्राध्यापक
धर्मकृति सुमंत,सहयोगी प्राध्यापक
जागृति ठाकुर, सहायक प्राध्यापक
श्रीकृष्ण पांडे, सहायक प्राध्यापक

टेलीविज़न स्कंध

टेलीविज़न स्कंध में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

टेलीविज़न स्कंध की स्थापना 1971 में हुई और यह 1974 से पूर्ण रूप से क्रियाशील हुआ। यह मुख्यतः दूरदर्शन, भारत के सार्वजनिक प्रसारक के कर्मचारियों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। वर्ष 2003 से इस स्कंध द्वारा टेलीविज़न में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। अब तक इन पाठ्यक्रमों के 20 से अधिक बैच सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं।

टेलीविज़न स्कंध में विशेषज्ञता वाले विभाग स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों की पेशकश करते हैं। पाठ्यक्रमों की गहराई और विविधता प्रत्येक विभाग के शैक्षणिक दृष्टिकोण तथा संस्थान के व्यापक शिक्षण उद्देश्यों के अनुरूप तय की जाती है। प्रत्येक विभाग अपने-अपने विषय में पाठ्यक्रम का संचालन करता है, साथ ही अन्य विभागों के साथ समन्वय में कार्य करते हुए विद्यार्थियों को एक समेकित एवं बहुआयामी शिक्षण अनुभव प्रदान करता है।

टेलीविज़न स्कंध में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्र

टेलीविज़न स्कंध निम्नलिखित स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रदान करता है :

1. निर्देशन विशेषज्ञता में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
2. इलेक्ट्रॉनिक चलचित्रांकन विशेषज्ञता में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
3. वीडियो संपादन विशेषज्ञता में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
4. ध्वनि मुद्रण एवं टेलीविज़न अभियांत्रिकी विशेषज्ञता में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

उपरोक्त सभी पाठ्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हैं।

पाठ्यक्रम की रूपरेखा

इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों में टेलीविज़न माध्यम की समझ और उसके निर्माण तकनीकों की समझ विकसित करना है, साथ ही उन्हें टेलीविज़न उपकरणों के संचालन से संबंधित आवश्यक कौशल प्रदान करना भी है। शिक्षण पद्धति छात्रों में एक स्वस्थ संघ भावना विकसित करने पर भी बल देती है, जो उनके पेशेवर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

छात्रों को अत्याधुनिक उपकरणों पर कक्षा सत्रों, कार्यशालाओं, व्यावहारिक अभ्यासों और विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों के माध्यम से सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ व्यापक व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जाता है, जिसमें अनुभवी इन-हाउस संकाय सदस्यों और उद्योग पेशेवरों का मार्गदर्शन शामिल होता है। छात्र इन-हाउस संकाय सदस्यों और टेलीविजन पेशेवरों द्वारा संचालित कार्यशालाओं में भाग लेते हैं, जहाँ वे विभिन्न कार्यक्रम प्रारूपों की निर्माण तकनीकों से परिचित होते हैं और समन्वित अभ्यास करते हैं।

छात्र विभिन्न अवधि के अभ्यास करते हैं, जिनकी समय सीमा 5 मिनट से 15 मिनट तक होती है। इनमें सिंगल-कैमरा फ़िक्शन, सिंगल-कैमरा नॉन-फ़िक्शन, मल्टी-कैमरा नॉन-फ़िक्शन और पाठ्यक्रम के समापन पर फ़िक्शन/नॉन-फ़िक्शन का समग्र अभ्यास शामिल है।

टीवी निर्देशन विभाग

निर्देशन में विशेषज्ञता के साथ टेलीविज़न में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र

यह पाठ्यक्रम टीवी निर्माण और निर्देशन विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। ऐसी दुनिया में जहाँ कहानियाँ हमारे दृष्टिकोण को आकार देती हैं और हमारी समझ को मार्गदर्शित करती हैं, निर्देशन की कला ऑडियो-विज़ुअल कहानीकारिता का मूल आधार है। यह पाठ्यक्रम उभरते हुए निर्देशकों और निर्माताओं के लिए अत्यंत सूक्ष्मता से संरचित प्रशिक्षण यात्रा है, जो उनके तकनीकी कौशल और रचनात्मक दृष्टि को निखारती है। यह पाठ्यक्रम निर्देशन की कला और कौशल सीखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, जो टेलीविजन, फिल्म, वृत्तचित्र, ओटीटी प्लेटफॉर्म और उभरते ऑडियो-विज़ुअल प्रारूपों सहित विभिन्न माध्यमों में विस्तारित है। जिनके लिए लंबी अवधि के अध्ययन में शामिल होना संभव नहीं है, उनके लिए यह गहन, व्यावहारिक पाठ्यक्रम संक्षिप्त समय में अधिकतम सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए संरचित किया गया है।

एक वर्ष की अवधि में, छात्र स्क्रीन के लिए लेखन, निर्माण और निर्देशन के मूलभूत सिद्धांत सीखेंगे। सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव को जोड़ते हुए, वे कहानी कहने की प्रभावशाली तकनीकों का अन्वेषण करेंगे। पाठ्यक्रम में चलचित्रांकन, संपादन, ध्वनि मुद्रण और ध्वनि संरचना के मूलभूत तत्व शामिल हैं। निर्देशन के छात्र रचनात्मक और तकनीकी दक्षता के साथ निर्माण समूहों का नेतृत्व करना सीखते हैं, जिससे वे निर्देशक, कार्यक्रम निर्माता और फिल्म निर्माता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाने में सक्षम होते हैं।

20 वर्षों से संचालित यह पाठ्यक्रम अपने छात्रों द्वारा प्राप्त कई राष्ट्रीय, एशियाई और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के माध्यम से अपनी सफलता प्रमाणित कर चुका है। इसके साथ ही पुरस्कार विजेता पूर्व छात्रों का मजबूत नेटवर्क भी जुड़ा है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे स्नातक उद्योग में जल्दी अपनी पहचान बना लेते हैं और अक्सर स्वतंत्र फिल्म निर्माता के रूप में उभरते हैं।

संरचना: यह पाठ्यक्रम सावधानीपूर्वक संरचित किए गए तीन चरणों में विभाजित है, जिनमें मॉड्यूलर संरचना है:

चरण 1: विभिन्न कौशल क्षेत्रों का परिचय
यह एक सामान्य मॉड्यूल है, जिसमें सभी शाखाओं के छात्रों को लेखन, निर्देशन, चलचित्रांकन, ध्वनि मुद्रण और संरचना, संपादन, और निर्माण की मूल सिद्धांतों से परिचित होते हैं,साथ ही इन्हें सौंदर्यात्मक दृष्टिकोण से समझाया जाता है। सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ सिंगल और मल्टी-कैमरा अभ्यासों में व्यावहारिक प्रशिक्षण, संकाय सदस्यों के मार्गदर्शन और प्रतिक्रिया के माध्यम से छात्रों में एक मजबूत आधार स्थापित करते हैं।

चरण 2: निर्देशन में विशेषज्ञता (कथा और गैर-कथा)
निर्देशन के छात्र अपनी विशेषज्ञता की शुरुआत करते हैं। वे कथा और गैर-कथा कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं (जिनकी अवधि 5 - 12 मिनट की होती हैं)। वे अत्याधुनिक उपकरणों के साथ काम करते हैं और संबद्ध विशेषज्ञताओं के सहपाठियों के साथ मिलकर नवोन्मेषी कहानी कहने के तरीके अन्वेषित करते हैं। इस प्रक्रिया में लेखन, निर्देशन और निर्माण में उनके कौशल को निखारने पर विशेष बल दिया जाता है, जिसमें अनुभवी संकाय, अतिथि विशेषज्ञों के मार्गदर्शन तथा प्रतिष्ठित फ़िल्म निर्माताओं और उद्योग विशेषज्ञों द्वारा आयोजित व्यावहारिक कार्यशालाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

चरण 3: पाठ्यक्रम – समापन अभ्यास
छात्र 15 मिनट की फ़िल्म का लेखन, निर्देशन और निर्माण करते हैं, जो व्यावसायिक निष्पादन और एक विशिष्ट व्यक्तिगत सौंदर्य को प्रदर्शित करती है। अनुभवी संकाय सदस्य और उद्योग विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन किए गए इस चरण में, छात्र विचार-निर्माण से लेकर अंतिम प्रस्तुति तक निर्माण की सभी प्रक्रियाओं को स्वयं संभालने में सक्षम होते हैं और आंतरिक और बाहरी संकाय सदस्यों से मूल्यवान प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं।

पाठ्यक्रम की अवधि: 1 वर्ष (वार्षिक पैटर्न, कुल अंक = 1000)

स्थानों की कुल संख्या: 11

पात्रता के मानदण्ड : किसी भी शाखा में स्नातक की पदवी या उसके समकक्ष

संकाय सदस्य:
एम.डी.नेगी, प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष
डॉ.मिलिंद दामले, सहयोगी प्राध्यापक (वर्तमान में सीएफओएल के अंतर्गत)
वासीमबरी माणेर, सहयोगी प्राध्यापक
स्वप्निल कपूरे, सहायक प्राध्यापक

इलेक्ट्रॉनिक चलचित्रांकन विभाग

इलेक्ट्रॉनिक चलचित्रांकन विशेषज्ञता के साथ टेलीविज़न में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र

यह पाठ्यक्रम भावी दृश्य कथाकारों की नई पीढ़ी को व्यावसायिक चलचित्रांकन में करियर बनाने के अवसर प्रदान करता है। इसे इस प्रकार संरचित किया गया है कि यह चलचित्र कला और विज्ञान से संबंधित दृश्यात्मक एवं तकनीकी आवश्यकताओं का समुचित पोषण कर सके। एक सुव्यवस्थित शिक्षण पद्धति के माध्यम से, छात्रों को इस विशिष्ट शिल्प के विभिन्न पहलुओं से क्रमिक रूप से परिचित कराया जाता है। मीडिया में निरंतर विकसित हो रही डिजिटल तकनीकों के साथ, व्यावसायिकों के लिए उपलब्ध अवसर लगातार विस्तृत और विविध होते जा रहे हैं। इन्हीं परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, पाठ्यक्रम विविध दृश्य कथात्मक शैलियों पर विशेष बल देता है, जिसे अत्याधुनिक उपकरणों और संपूर्ण अधोसंरचना से सुसज्जित किया गया है।

उपलब्ध सुविधाओं में हाई-डेफ़िनिशन मल्टी-कैमरा टेलीविज़न स्टूडियो, उच्च स्तरीय डिजिटल सिनेमा कैमरे, परिष्कृत ऑप्टिक्स, प्रकाश उपकरणों और ग्रिप्स की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इसके अलावा, 4के डिजिटल कलर-ग्रेडिंग सूट हमारे कार्यप्रवाह को दृश्य उत्कृष्टता तक पहुँचाने में सक्षम बनाते हैं। छात्रों को तकनीकी और रचनात्मक दोनों प्रकार की विभिन्न इंटरैक्शन के साथ-साथ फ़िल्म उद्योग के पेशेवरों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में भी भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है।

पाठ्यक्रम संरचना : पाठ्यक्रम को सावधानीपूर्वक संरचित किए गए तीन चरणों में विभाजित किया गया है:

चरण 1: मूल दृश्य सिद्धांत से परिचय

यह सामान्य आधारभूत मॉड्यूल सभी विशेषज्ञताओं के छात्रों को दृश्यात्मक और सौंदर्यपरक दृष्टिकोण के माध्यम से चलचित्रांकन के मूलभूत सिद्धांतों से परिचित कराता है। सैद्धांतिक शिक्षण को एकल और बहु-कैमरा व्यावहारिक अभ्यासों के साथ संयोजित करते हुए, यह चरण छात्रों में बुनियादी धारणा और कलात्मक जागरूकता के साथ-साथ तकनीकी दक्षता का निर्माण करता है। शैक्षणिक और रचनात्मक मार्गदर्शन, संरचित फीडबैक सत्रों के साथ मिलकर, छात्रों को दृश्य व्याकरण की समझ विकसित करने में मदद करता है। इस चरण में मूल दृश्य सिद्धांत, छवि निर्माण, रचना, स्टेजिंग, प्रकाश और शॉट डिज़ाइन की समझ पर विशेष जोर दिया जाता है। छात्रों को देखने के अपने दृष्टिकोण का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, साथ ही उन सौंदर्यात्मक अवधारणाओं से परिचित कराया जाता है जो मानव धारणा को आकार देती हैं, जिससे उन्नत चलचित्रांकन-संबंधी (सिनेमैटोग्राफिक) अध्ययन और रचनात्मक अन्वेषण के लिए एक मजबूत वैचारिक आधार स्थापित होता है।

चरण 2: इलेक्ट्रॉनिक चलचित्रांकन में विशेषज्ञता

इस चरण में, छात्र औपचारिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक चलचित्रांकन में अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। वे 5 से 12 मिनट की अवधि वाले कथा और गैर-कथा परियोजनाओं पर कार्य करते हैं। ये अभ्यास विभिन्न कहानी कहने के रूपों में सिनेमाई समझ को गहरा करने के लिए संरचित किए गए हैं। आधुनिक सिनेमा लाइन कैमरा सिस्टम, लुमिनेयर्स और निर्माण तकनीकों के साथ काम करते हुए, छात्र कथा और वृत्तचित्र दोनों संदर्भों में अपनी दृश्यात्मक शब्दावली का विस्तार करते हैं। संबंधित विशेषज्ञताओं के साथ साथियों के सहयोग से वास्तविक निर्माण प्रक्रिया का अनुभव प्राप्त होता है। अनुभवी संकाय से निरंतर मार्गदर्शन, अतिथि विशेषज्ञों द्वारा आयोजित गहन व्यावहारिक सत्र और कार्यशालाओं के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया और समृद्ध होती है। इस चरण का मुख्य उद्देश्य शिल्प को परिष्कृत करना, दृश्य निर्णय क्षमता को मजबूत करना और रचनात्मक मूलभूत संरचना का निर्माण करना है।

चरण 3: पाठ्यक्रम-समापन मॉड्यूल

छात्र 15 मिनट की एक फ़िल्म की संकल्पना बनाते हैं और उसका निर्माण करते हैं, जो पेशेवर स्तर के निष्पादन के साथ-साथ स्पष्ट रूप से विकसित व्यक्तिगत दृश्य भाषा को दर्शाती है। यह परियोजना चलचित्रांकन में उनके तकनीकी प्रशिक्षण और कलात्मक अन्वेषण का समापन रूप है। छात्र फ़िल्म की दृश्यात्मक रूपरेखा के लिए मुख्य जिम्मेदारी निभाते हैं, जिसमें विचार निर्माण, संदर्भ तैयार करना, शैलीगत दृष्टिकोण विकसित करना, लाइटिंग योजनाएँ, कैमरा रणनीति, ऑन-सैट कार्यप्रवाह और इमेज पोस्ट-प्रोडक्शन के सुव्यवस्थित चरण

शामिल हैं। परिणामस्वरूप, अक्सर यह एक उच्च स्तरीय फ़िल्म होती है, जिसमें अद्वितीय सिनेमाई लेखकीय पहचान, सौंदर्यपूर्ण परिपक्वता और तकनीकी दक्षता दिखाई देती है तथा यह समकालीन स्क्रीन निर्माण की मांगों के लिए छात्रों को पूरी तरह तैयार करती है।

पाठ्यक्रम की अवधि : 1 वर्ष (वार्षिक पैटर्न, कुल अंक = 1000)

कुल स्थानों की संख्या : 11

योग्यता मानदंड: किसी भी विषय में स्नातक डिग्री या समकक्ष

संकाय सदस्य :

डॉ. बिष्वा बी. बेहुरा, सहायोगी प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष
सुश्री माहीन मिर्जा, सहायक प्राध्यापक
निशांत खुरादा, सहायक प्राध्यापक

विडियो संपादन विभाग

विडियो संपादन विशेषज्ञता के साथ टेलीविज़न में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र

समीक्षा:

पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को उनकी कला-शिल्प की गहन समझ के साथ सृजनात्मक एवं कुशल व्यवसायिक बनने के लिए तैयार करना है। छात्र टेलीविज़न निर्माण के अन्य पहलुओं का ज्ञान प्राप्त करते हुए टेलीविज़न कथा एवं गैर-कथा में लयात्मक अभिव्यक्ति करते हैं। पाठ्यक्रम के प्रत्येक चरण में प्रगतिशील शिक्षण पर बल दिया जाता है, जिससे टेलीविज़न के लिए संपादन में मज़बूत आधार तैयार होता है। कक्षा में सैद्धांतिक व्याख्यान, नॉन-लीनियर संपादन सॉफ़्टवेयर पर विस्तृत अभ्यास के साथ उद्योग जगत के विशेषज्ञों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं एवं समन्वित अभ्यासों के माध्यम से छात्र अपने कौशल को निखारते हैं।

संरचना:

यह पाठ्यक्रम सावधानीपूर्वक संरचित किए गए तीन चरणों में विभाजित किया गया है, जो एक मॉड्यूलर संरचना का पालन करते हैं:

चरण 1: विभिन्न कौशल समूहों का परिचय

यह एक सामान्य मॉड्यूल है, जिसमें सभी शैलियों के छात्रों को लेखन, निर्देशन, चलचित्रांकन, ध्वनि मुद्रण और संरचना, संपादन और निर्माण के मूल सिद्धांतों से परिचित कराया जाता है, जो एक सौंदर्यात्मक दृष्टिकोण द्वारा मार्गदर्शित होते हैं। सैद्धांतिक जानकारी और एकल और बहु-कैमरा अभ्यासों में प्रत्यक्ष प्रशिक्षण के साथ संकाय सदस्यों का मार्गदर्शन और प्रतिक्रिया एक मजबूत आधार बनाते हैं।

चरण 2: वीडियो संपादन में विशेषज्ञता (कथा और गैर-कथा)

वीडियो संपादन के छात्र अपनी विशेषज्ञता में प्रवेश करते हैं। वे कथा और गैर-कथा फिक्शन कार्यक्रमों पर काम करते हैं, जिनकी अवधि 5 से 12 मिनट के बीच होती है। वे अत्याधुनिक उपकरणों के साथ काम करते हैं और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर नवाचारपूर्ण कहानी कहने की विधाओं का अन्वेषण करते हैं। इसमें छात्रों के संपादन कौशल को अनुभवी संकाय सदस्यों और अतिथि विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से तथा प्रसिद्ध फ़िल्म निर्माताओं एवं उद्योग पेशेवरों द्वारा व्यावहारिक कार्यशालाओं के माध्यम से निखारने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

चरण 3: पाठ्यक्रम-समापन अभ्यास

छात्र 15 मिनट की फ़िल्म का निर्माण करते हैं, जो पेशेवर स्तर के निष्पादन और विशिष्ट व्यक्तिगत सौंदर्य दृष्टि को दर्शाती है। यह चरण अनुभवी संकाय सदस्यों और उद्योग विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में चलता है और छात्रों को संपादन के विभिन्न पहलुओं को स्वयं संभालने में सक्षम बनाता है। साथ ही, छात्र आंतरिक तथा बाहरी संकाय सदस्यों से मूल्यवान प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं।

पाठ्यक्रम की अवधि : 1 वर्ष (वार्षिक पैटर्न, कुल अंक = 1**000**)

कुल स्थानों की संख्या : 11

पात्रता के मानदण्ड : किसी भी विषय में स्नातक डिग्री या समकक्ष

संकाय सदस्य :

नीरज वोरालिया, सहायक प्राध्यापक
अरित्रा गांगुली, सहायक प्राध्यापक
स्वामी राजन,सहायक प्राध्यापक

ध्वनि मुद्रण एवं टेलीविज़न अभियांत्रिकी विभाग

ध्वनि मुद्रण एवं टेलीविज़न अभियांत्रिकी विशेषज्ञता के साथ टेलीविज़न में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र

यह पाठ्यक्रम छात्रों को ध्वनि के विभिन्न तकनीकी और सौंदर्यात्मक पहलुओं से परिचित कराता है, जिससे वे प्रभावशाली ध्वनि परिदृश्यों (साउंडस्केप्स) तैयार करने में सक्षम होते हैं। यह छात्रों में संचालन तकनीकों और रचनात्मक क्षमताओं का एक संक्षिप्त संयोजन है। ध्वनि विभाग को डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन, डिजिटल कंसोल, डिजिटल रिकॉर्डर, पेशेवर बूम और वायरलेस माइक जैसे अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है।

पाठ्यक्रम के दौरान छात्र **कथा और गैर-कथा** कार्यक्रमों के लिए ध्वनि मुद्रण करना सीखते हैं। इसमें मुख्य रूप से उद्योग मानक **वायरलेस माइक्रोफोन, बूम माइक्रोफोन और डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर** के साथ लोकेशन साउंड रिकॉर्डिंग शामिल है। इसके साथ ही, छात्र इन कार्यक्रमों का ऑडियो पोस्ट-प्रोडक्शन भी सीखते हैं, जो कि विश्व स्तरीय **डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन प्रो-टूल्स** पर किया जाता है।
मल्टी-कैमरा अभ्यास एक अन्य समन्वित गतिविधि है, जो छात्रों को सीधे प्रसारण वाले ऑडियो-विज़ुअल कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं और चुनौतियों को समझने में सक्षम बनाती है।

पाठ्यक्रम की सफल पूर्णता के बाद, छात्र कथा और गैर-कथा कार्यक्रमों के लिए ध्वनि मुद्रक के रूप में कार्य करने के लिए पेशेवर कौशल प्राप्त कर लेंगे। वे स्वतंत्र रूप से निर्माण ध्वनि मिक्सर, ध्वनि संरचनाकार और पुनर्मुद्रण (री-रिकॉर्डिंग) मिक्सर के रूप में विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म जैसे टीवी, डॉक्यूमेंट्री और ओटीटी आदि के लिए काम करने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त, वे ऑडियो पोस्ट-प्रोडक्शन को संभालने में भी सक्षम होंगे, जिसमें उल्लेखित कार्यक्रमों का **संपादन , ध्वनि-संस्कार, ध्वनि मिश्रण और अंतिम परिष्करण** शामिल है, और यह सभी कार्य उद्योग मानक **डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन प्रो-टूल्स** पर किए जाएंगे।

छात्रों को वर्तमान टेलीविजन तकनीक से संबंधित तकनीकी ज्ञान भी प्रदान किया जाता है, ताकि वे तकनीकी मुद्दों को बेहतर ढंग से समझ सकें। दो मल्टी-कैमरा हाई-डेफिनिशन (एचडी) टीवी स्टूडियो उपलब्ध हैं। दोनों एचडी स्टूडियो मोटराइज्ड लाइटिंग सिस्टम (डीएमएक्स पैनल के साथ), 16 चैनल ऑडियो कंसोल/मिक्सर, डिजिटल वीडियो स्विचर, बहुभाषी कैरेक्टर जनरेटर, कंप्यूटर संचालित टेली-प्रॉम्प्टर्स, डिजिटल वीटीआर आदि से सुसज्जित हैं। टीवी अभियांत्रिकी विभाग मल्टी-कैमरा सेटअप के प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वह परिचयात्मक मॉड्यूल हो या विशेषज्ञता मॉड्यूल। विभाग छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक फ़ील्ड निर्माण सेटअप पर प्रशिक्षण भी प्रदान करता है, ताकि स्टूडियो के बाहर फील्ड में मल्टी-कैमरा तकनीक की समझ बढ़ाई जा सके। इसके अतिरिक्त, विभाग छात्रों को नवीनतम तकनीकों से परिचित कराता है, जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (एआई), वर्चुअल प्रोडक्शन आदि, और बताता है कि इन तकनीकों की सहायता से फ़िल्म निर्माण कैसे किया जा

सकता है। विभाग यह भी सिखाता है कि डिजिटल पोस्ट-प्रोडक्शन पाइपलाइन कैसे कार्य करती है, अर्थात् कैमरा कार्ड फुटेज को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर डंप करना, ताकि इसे संपादक, ध्वनि मुद्रक, कलरिस्ट आदि उपयोग कर सकें, और अंततः इसे डीसीपी, डीपीएक्स, .एमपी4, .एमओवी आदि फॉर्मैट में संग्रहित किया जा सके। उपरोक्त ध्वनि और टीवी अभियांत्रिकी उपकरणों एवं स्टूडियो पर कार्य करने से छात्रों को पेशेवर परियोजना लेने का आत्मविश्वास प्राप्त होता है। उद्योग विशेषज्ञों के साथ संवाद उन्हें वर्तमान तकनीकों और क्षेत्र में प्रचलित नियमों और परंपराओं को समझने में मदद करता है।

संरचना:

यह पाठ्यक्रम ध्यानपूर्वक संरचित किए गए तीन चरणों में विभाजित है, जो मॉड्यूलर संरचना में हैं:

चरण 1: विभिन्न कौशल समूहों का परिचय

यह एक सामान्य मॉड्यूल है, जिसमें सभी शैलियों के छात्रों को लेखन, निर्देशन, चलचित्रांकन, ध्वनि मुद्रण और संरचना, संपादन और निर्माण के मूल सिद्धांतों से परिचित कराया जाता है, जो एक सौंदर्यात्मक दृष्टिकोण द्वारा मार्गदर्शित होते हैं। सैद्धांतिक जानकारी और एकल और बहु-कैमरा अभ्यासों में प्रत्यक्ष प्रशिक्षण के साथ संकाय सदस्यों का मार्गदर्शन और प्रतिक्रिया एक मजबूत आधार बनाते हैं।

चरण 2: ध्वनि मुद्रण एवं टेलीविज़न अभियांत्रिकी में विशेषज्ञता (कथा और गैर-कथा)

ध्वनि मुद्रण एवं टेलीविज़न अभियांत्रिकी के छात्र अपनी विशेषज्ञता में प्रवेश करते हैं। वे कथा और गैर-कथा कार्यक्रमों पर काम करते हैं, जिनकी अवधि 5 से 12 मिनट के बीच होती है। वे अत्याधुनिक उपकरणों के साथ काम करते हैं और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर नवाचारपूर्ण कहानी कहने की विधाओं का अन्वेषण करते हैं। इसमें छात्रों के ध्वनि मुद्रण कौशल को अनुभवी संकाय सदस्यों और अतिथि विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से तथा प्रसिद्ध फ़िल्म निर्माताओं एवं उद्योग पेशेवरों द्वारा व्यावहारिक कार्यशालाओं के माध्यम से निखारने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

चरण 3: पाठ्यक्रम-समापन अभ्यास

छात्र 15 मिनट की फ़िल्म का निर्माण करते हैं, जो पेशेवर स्तर के निष्पादन और विशिष्ट व्यक्तिगत सौंदर्य दृष्टि को दर्शाती है। यह चरण अनुभवी संकाय सदस्यों और उद्योग विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में चलता है और छात्रों को ध्वनि मुद्रण के विभिन्न पहलुओं को स्वयं संभालने में सक्षम बनाता है। साथ ही, छात्र आंतरिक तथा बाहरी संकाय सदस्यों से मूल्यवान प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं।

पाठ्यक्रम अवधि: 01 वर्ष (वार्षिक पैटर्न, कुल अंक = 1000)

स्थानों की कुल संख्या: 11

पात्रता मानदंड: किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री या समकक्ष

संकाय सदस्य : **ध्वनि**

वैभव घम, सहयोगी प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष
आयझॅक न्यूटन, सहायक प्राध्यापक
अतुल लंजुडकर, सहायक प्राध्यापक

संकाय सदस्य : टेलीविज़न अभियांत्रिकी

संदीप शहारे, प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष
डॉ. ऑल्विन अनुसे, सहयोगी प्राध्यापक
डॉ. रणजित सदाकळे, सहायक प्राध्यापक
डॉ. राजेंद्रप्रसाद पगारे, सहायक प्राध्यापक
योगेश सोनवणे, सहायक प्राध्यापक

संबंधित विभाग और अनुभाग

स्क्रीन अध्ययन और अनुसंधान

यह विभाग फ़िल्म इतिहास और फ़िल्म रसास्वादन के विषयों में कक्षाओं संचालन के द्वारा सिनेमा में ललित कला का स्नातकोत्तर(एमएफए) कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह विभाग शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए दुर्लभ, पुरानी और अग्रगामी सिनेमा की दैनिक स्क्रीनिंग भी करता है। इसके अतिरिक्त, यह विभाग फ़िल्म प्रेमियों के लिए राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम (एनएफडीसी) और भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभिलेखागार (एनएफएआई), पुणे सहयोग से एक बहुत ही लोकप्रिय फ़िल्म रसास्वादन पाठ्यक्रम का आयोजन भी करता है।

संकाय सदस्य :

डॉ. इंद्रनील भट्टाचार्य, प्राध्यापक, स्क्रीन अध्ययन और अनुसंधान

फ़िल्म निर्माण

निर्माण अनुभाग भा.फ़ि.टे.सं. की सभी शैक्षणिक गतिविधियों की व्यवस्थापन जिम्मेदारियों को संभालता है। व्यावहारिक कक्षाओं, कार्यशालाओं, अभ्यासों और परियोजनाओं सहित शैक्षणिक गतिविधियों का समन्वय निर्माण विभाग की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है।

संकाय सदस्य:

नुवेंद्र सिंह अशोक, सहयोगी प्राध्यापक,फ़िल्म निर्माण

टीवी निर्माण

टीवी निर्माण विभाग एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का समन्वय करता है और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए आवश्यक संचालन में सहायता प्रदान करता है। विभाग टेलीविज़न पाठ्यक्रम का भी समन्वय करता है, जिसमें सामान्य मॉड्यूल, व्यावहारिक सत्र, कार्यशालाएँ और समन्वित अभ्यास सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग विभिन्न लघु पाठ्यक्रमों के समन्वय में भी सक्रिय रूप से कार्यरत है।

संकाय सदस्य:

डॉ. अश्विन सोनोने, सहयोगी प्राध्यापक, टीवी निर्माण प्रबंधन

ग्राफिक्स और एनीमेशन विभाग

ग्राफिक्स और एनीमेशन विभाग 2डी और 3डी एनीमेशन सॉफ़्टवेयर की नवीनतम रेंज, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला और पारंपरिक एनीमेशन के लिए लाइट बॉक्स वाले स्टूडियो से सुसज्जित है।

टीवी और फ़िल्म पाठ्यक्रमों में सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से एनीमेशन तकनीकों की जानकारी प्रदान की जाती है। विभाग एक सेवा विभाग के रूप में कार्य करता है और छात्रों को उनके अभ्यास और शैक्षणिक परियोजनाओं में सहायता प्रदान करता है। विभाग एनीमेशन में लघु पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है।

संकाय सदस्य:

मंदार डिग्रजकर, सहयोगी प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष
डॉ.सैयद तनवीर ताहिर, सहायक प्राध्यापक
अमर राठोड, सहयोगी प्राध्यापक

परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, भा.फ़ि.टे.सं., समविश्वविद्यालय, पुणे के फ़िल्म और टीवी स्कंध में विभिन्न कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया की पूर्ण देखरेख करता है।

प्रभारी

डॉ. अश्विन सोनोने, सहयोगी प्राध्यापक और परीक्षा नियंत्रक
डॉ. राजेंद्रप्रसाद ए. पगारे, सहायक प्राध्यापक और सहायक परीक्षा नियंत्रक

अकादमिक कार्यालय

भा.फ़ि.टे.सं. के सभी छात्रों के शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए अकादमिक कार्यालय एकल संपर्क बिंदु है। यह कार्यालय परिणाम, अंकपत्र, बोनाफाइड प्रमाणपत्र, छात्र पहचान पत्र, छात्रवृत्ति वितरण आदि जारी करने के लिए उत्तरदायी है।

प्रभारी

नुवेंद्र सिंह अशोक, सहयोगी प्राध्यापक और अकादमिक समन्वयक

मल्टीमीडिया और कम्प्यूटर

मल्टीमीडिया और कंप्यूटर अनुभाग संस्थान के विभिन्न शैक्षणिक और प्रशासनिक विभागों की कंप्यूटर, आईटी, इंटरनेट, वाई-फाई और मल्टीमीडिया संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह विभाग संस्थान की वेबसाइट और आंतरिक नेटवर्क का भी प्रबंधन करता है। भाफ़िटेसं राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) का सदस्य है और इसके माध्यम से 1 जीबीपीएस लीज़्ड लाइन उपलब्ध है। संस्थान का डेटा सेंटर आधुनिक सर्वर और मेल सेवाओं से सुसज्जित है, जिसमें डेटा प्रबंधन, सुरक्षा और बैकअप के लिए अनुप्रयोग शामिल हैं। छात्रों की परियोजनाओं के डेटा और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए वैश्विक फ़िल्मों के संग्रह को संग्रहित करने के लिए निजी क्लाउड का उपयोग किया जाता है।

समन्वयक

योगेश सोनावणे, सहायक प्राध्यापक और मल्टीमीडिया समन्वयक

पुस्तकें, फ़िल्म और विडियो संग्रह (विडियो लायब्रेरी)

भा.फ़ि.टे.सं. पुस्तकालय में लगभग 31,000 संसाधनों का संग्रह है, जिसमें फ़िल्म और संबंधित विषयों जैसे निर्देशन, चलचित्रांकन, ध्वनि मुद्रण, अभिनय, पटकथा, रंगमंच, दृश्य कला, चित्रकला आदि पर आधारित पुस्तकें शामिल हैं। पुस्तकालय भारत और विदेश से मीडिया से संबंधित विभिन्न पत्रिकाओं और जर्नलों की सदस्यता भी रखता है। संस्थान के पास फ़िल्मों और वीडियो का पर्याप्त संग्रह है और इसे अपने परिसर के पास स्थित राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय के संग्रह का लाभ भी प्राप्त होता है।

प्रभारी

अनुराधा वाजिरे, मुख्य पुस्तकाध्यक्ष प्रभारी

सेंटर फॉर ओपन लर्निंग (सीएफओएल)

सेंटर फॉर ओपन लर्निंग (सीएफओएल) भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान (भाफ़िटेसं) पुणे का आउटरीच प्रभाग है। यह पहल सिनेमा शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाने और आम जनसमूह तक गुणवत्तापूर्ण सिनेमा साक्षरता पहुँचाने के उद्देश्य से कार्य करती है। संस्थान की आउटरीच गतिविधियां 2017 में स्किलिंग इंडिया इन फ़िल्म एंड टेलीविज़न (स्कीफ्ट) के रूप में शुरू हुई, जिसे अब सीएफओएल के रूप में एकीकृत किया गया है।

सीएफओएल के अधीन, भाफ़िटेसं फ़िल्म और टेलीविज़न निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर लघु पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है। ये पाठ्यक्रम ऑनलाइन, ऑफलाइन, पुणे परिसर में (ऑन-कैंपस) तथा पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर (ऑफ-कैंपस) आयोजित किए जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों, विशेष रूप से ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का संचालन शाम के समय और सप्ताहांत में भी किया जाता है।

राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से, मई 2017 से अब तक स्कीफ्ट / सीएफओएल ने देश के 70 से अधिक शहरों-कारगिल से कार निकोबार द्वीप समूह तक और बीकानेर से इम्फाल तक- लगभग 100 से अधिक विषयों पर पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं। पिछले 8–9 वर्षों की इस यात्रा में, स्कीफ्ट / सीएफओएल ने ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से 700 से अधिक लघु पाठ्यक्रम संचालित किए हैं, जिनके माध्यम से सिनेमा और टेलीविज़न के क्षेत्र में लगभग 19,000 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिनमें विदेशों से भी प्रतिभागी शामिल हैं।

स्कीफ्ट / सीएफओएल के अधीन, भा.फ़ि.टे.सं. ने सरकारी तथा निजी संगठनों के कर्मचारियों को इन-सर्विस प्रशिक्षण भी प्रदान किया है, साथ ही विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसी क्रम में, भा.फ़ि.टे.सं. ने सिनेमा और टेलीविज़न के क्षेत्र में संकाय सदस्यों का विकास कार्यक्रम-फ़ैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स तथा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम-'ट्रेनिंग द ट्रेनर्स' कार्यक्रमों का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया है।

भा.फ़ि.टे.सं. अब अन्य शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी स्थापित कर अपने आउटरीच को एक नए स्तर पर विस्तारित कर रहा है। वर्ष 2022 में, भा.फ़ि.टे.सं. ने लद्दाख विश्वविद्यालय और स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नांदेड़ के नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया, जिसके माध्यम से इन विश्वविद्यालयों को फ़िल्म और टेलीविज़न शिक्षा में मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद, भा.फ़ि.टे.सं. के इस शैक्षणिक मार्गदर्शन के अंतर्गत, इन विश्वविद्यालयों ने स्क्रीन अभिनय, स्मार्टफ़ोन फ़िल्म निर्माण आदि क्षेत्रों में विभिन्न प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू किए और संचालित किए हैं।

प्रभारी :

संदीप शहारे, प्राध्यापक और कार्यकारी प्रमुख

डॉ. मिलिंद दामले, सहयोगी प्राध्यापक

रेडियो एफ़टीआईआई

एफ़टीआईआई के स्वामित्व और प्रबंधन में संचालित रेडियो एफ़टीआईआई एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है,जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर के लोगों को अपनी अभिव्यक्ति के लिए सशक्त मंच उपलब्ध कराना है । यह विभिन्न विषयों पर जानकारीपूर्ण और शिक्षाप्रद कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। सिनेमा प्रेमी यहाँ प्रतिष्ठित फ़िल्म निर्माताओं और पूर्व छात्रों के साक्षात्कार, व्याख्यान और संवाद का आनंद ले सकते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भी रेडियो एफ़टीआईआई के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से योगदान देते हैं।

प्रभारी : वी.जी. नेर्लेकर, अनुरक्षण प्रबंधक एवं प्रभारी, रेडियो एफ़टीआईआई

फ़िल्म अनुसंधान अधिकारी

फ़िल्म अनुसंधान अधिकारी संस्थान में फ़िल्मों की स्क्रीनिंग का समन्वय करता है, ताकि छात्रों को दुनिया भर और विभिन्न क्षेत्रों की सिनेमा से परिचित कराया जा सके। यह कार्यालय संस्थान के फिल्मी धरोहर का संरक्षण और अभिलेखन करने के लिए उत्तरदायी है।

अन्य विभागों से परामर्श लेकर, यह कार्यालय उन छात्र फ़िल्मों के चयन की पहल भी करता है जिन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोहों और पुरस्कारों के लिए भेजा जाना है। फ़िल्म अनुसंधान कार्यालय संस्थान के फ़िल्म संग्रह (फ़िल्म लाइब्रेरी) का भी रखरखाव करता है।

सुश्री अपर्णा सुब्रमण्यम, फ़िल्म अनुसंधान अधिकारी
सुश्री कृतिका मेहता, सहायक फ़िल्म अनुसंधान अधिकारी

आउटरीच कार्यालय

आउटरीच कार्यालय संस्थान के अन्य फ़िल्म स्कूलों और विश्वविद्यालयों के साथ किए गए समझौतों को कार्यान्वित करता है । इन समझौतों में विदेशी फ़िल्म स्कूलों के साथ समझौता ज्ञापन और भारतीय संस्थानों / विश्वविद्यालयों के साथ ज्ञान भागीदारी सम्मिलित है । यह भा.फ़ि.टे.सं. के जनसंपर्क और मीडिया संबंधों का भी प्रबंधन करता है।

प्रभारी :

मोनाल आरोन, सहायक प्राध्यापक और आउटरीच अधिकारी

मेक अप

यह अनुभाग सभी फ़िल्म और टीवी अभ्यासों, परियोजनाओं और मंच कार्यक्रमों के लिए मेकअप सेवाएँ प्रदान करता है।

प्रभारी: मंदार डिग्रजकर, सहयोगी प्राध्यापक और प्रभारी मेकअप

घ परिसर में सुविधाएँ .

छात्रावास सुविधा :

छात्रावास सुविधा उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जाएगी। आबंटन के संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम और सभी संबंधितों पर बाध्यकर होगा।

प्रभारी
आशुतोष कविश्वर, सहायक प्राध्यापक और वार्डन
टी.थिवाकरण, सहायक प्राध्यापक और वार्डन
शेफाली सबनानी, मैट्रन

भोजनालय प्रबंधन :

छात्र लागत साझा के आधार पर मेस का संचालन करते हैं।

छात्रवृत्ति :

छात्रवृत्ति पुरस्कार निर्धारित नियमों द्वारा संचालित किये जाते हैं। भाफ़िटेसं द्वारा एक निश्चित संख्या में योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी उन राज्यों से संबंधित छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले छात्रों के लिए भी कुछ संगठनों और व्यक्तियों ने भी छात्रवृत्ति / पुरस्कार की स्थापना की है।

शैक्षणिक स्क्रीनिंग :

सामान्य फिल्म स्क्रीनिंग छात्र जीवन का अद्भुत भाग है । पाठ्यक्रम के अनुरूप विभिन्न भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्में नियमित रूप से दिखाई जाती हैं।

संस्थान की लेंसाइट पत्रिका

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (भाफिटेसं) लेंसाइट प्रकाशित करता है, जो एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा की पत्रिका है जो फिल्म निर्माण और टेलीविजन निर्माण की कला, शिल्प और विकसित हो रही प्रथाओं की खोज के लिए समर्पित है। में शुरू की गई लेंसाइट लगातार दृश्य कहानी कहने के तकनीकी और 1991 सौंदर्य दोनों आयामों पर गहन चर्चाओं, आलोचनात्मक निबंधों और विद्वानों के विचारों के लिए एक सम्मानित मंच के रूप में विकसित हुई है।

व्यापक और अधिक विविध पाठकों तक पहुँचने के महत्व को पहचानते हुए, भाफिटेसं ने हिंदी में लेंसाइट का प्रकाशन भी शुरू किया है। इस हिंदी संस्करण का उद्देश्य हिंदी भाषी पाठकों के लिए सिनेमा और टेलीविजन पर सार्थक चर्चाओं को अधिक सुलभ बनाना है, जिससे भारत के समृद्ध और विविध सिनेमाई परिदृश्य के साथ समावेशी जुड़ाव को बढ़ावा मिले । अब तक लेंसाइट हिंदी के तीन अंक प्रकाशित हो चुके हैं। प्रत्येक अंक मीडिया और सिनेमा के क्षेत्र में अकादमिक और व्यावसायिक चर्चा में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और यह प्रयास दायरे और प्रभाव दोनों में बढ़ता जा रहा है।

खेलकूद की सुविधाएँ :

भाफ़िटेसं में फ़ुटबॉल और क्रिकेट जैसे खेलों के लिए एक विस्तृत मैदान और बॉस्केट बॉल के लिए स्वतंत्र कोर्ट सहित स्वीमिंग पुल भी है । छात्रों के लिए एक अच्छी तरह से सुसज्जित जिम भी उपलब्ध है।

प्रभारी

मोनाल ऑरेन, सहायक प्राध्यापक और प्रभारी खेलकूद

प्रभात म्यूज़ियम :

प्रभात म्यूज़ियम की स्थापना, प्रभात फ़िल्म कम्पनी की वे सभी कलाकृतियों,मूल अनुबंध, साझेदारी विलेखों सहित पोशाकों, सामग्रियों, उपकरणों, पोस्टरों और ऐसे छात्राचित्रों, जिनका ऐतिहासिक महत्व है, का संवर्धन करना तथा प्रदर्शन करने के लिए की गयी है। हाल ही में म्यूज़ियम का पुनर्निमाण किया गया है। म्यूज़ियम हर रोज आम जनता के लिए खुला रहता है।

प्रभारी

आशुतोष कविश्वर, सहायक प्राध्यापक और प्रभारी प्रभात म्यूज़ियम

डाक कार्यालय

परिसर में डाक घर स्थित है।

भाग – II

क. प्रवेश प्रक्रिया के बारे में- भाफिटेसं प्रवेश परीक्षा -2025-26

भाफिटेसं, एक सम विश्वविद्यालय है, जो फिल्म और टीवी स्कंध में विभिन्न विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर कार्यक्रम और स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया आयोजित कर रही है। प्रत्येक कार्यक्रम और पाठ्यक्रम के लिए कुल प्रवेश, आवंटित सीट का श्रेणीवार विभाजन और पात्रता मानदंड नीचे दी गयी हैं।

सिनेमा में ललित कला में स्नातकोत्तर की प्रस्तावित करने वाली फिल्म स्कंध की विभिन्न विशेषज्ञताओं में स्थानों की संख्या और आरक्षण

क्र.सं.	विशेषज्ञता का नाम	कुल स्थान	सामान्य	ओबीसी-एनसील	अ.ज	अ.जन.	सामान्य आ.व.क.
1	निर्देशन एवं पटकथा लेखन	**11**	**05**	**03**	**01**	**01**	**01**
2	चलचित्रांकन	**11**	**05** सी	**03**	**01**	**01**	**01**
3	संपादन	**11**	**05**	**03**	**01**	**01**	**01**
4	ध्वनि मुद्रण और ध्वनि संरचना	**11**	**05** सी	**03**	**01**	**01**	**01**
5	कला निर्देशन और निर्माण संरचना	**11**	**05**	**03**	**01**	**01**	**01**
6	स्क्रीन अभिनय	**16**	**07**	**04** ए	**02**	**01**	**02**
7	पटकथा लेखन फ़िल्म, टीवी और) (वेब सीरीज़	**16**	**07**	**04** डी	**02**	**01**	**02**

ए: बैंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए एक स्थान आरक्षित है - दृष्टिहीनता और कम दृष्टि

सी : बैंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए एक स्थान आरक्षित है : - सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से मुक्त,बौनापन, एसिड अटैक पीड़ितों और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित लोकोमोटर विकलांगता।

डी: बैंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए एक स्थान आरक्षित है – आत्मकेंद्रति (ऑटिज्म), बौद्धिक अक्षमता, विशेष सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी।

फ़िल्म स्कंध की विभिन्न विशेषज्ञताओं में सिनेमा में ललित कला में स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड

क्र.स.	**पाठ्यक्रम का नाम**	**पात्रता के मानदण्ड**
1.	निर्देशन तथा पटकथा लेखन	किसी भी शाखा में स्नातक की पदवी
2.	चलचित्रांकन	
3.	संपादन	
4.	ध्वनिमुद्रण तथा ध्वनि संरचना	
5.	स्क्रीन अभिनय	
6.	पटकथा लेखन(फ़िल्म टीवी और वेब ,सीरीज़)	
7.	कला निर्देशन तथा निर्माण संरचना	अप्लाइड आर्टस, आर्किटेक्चर, पेंटिग स्कल्पचर, इन्टिरियर डिज़ाइन में अथवा फाइन आर्टस से संबंधित क्षेत्र में स्नातक की पदवी अथवा उपर्युक्त क्षेत्रों में से किसी एक में समतुल्य पदविका।

***नोट: डिग्री समकक्षता अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की जानी है।**

टेलीविज़न स्कंध में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के विभिन्न विशेषज्ञता में स्थानों की संख्या और आरक्षण -

क्र.स.	पाठ्यक्रम का नाम	कुल स्थान	सामान्य	अ.पि.वि	अनु.जाति	अनु.जनजाति	सामान्य - आर्थिक रूप से कमज़ोर
1.	निर्देशन	11	5	3	1	1	1
2.	इलेक्ट्रॉनिक चलचित्रांकन	11	5 डी	3	1	1	1
3.	वीडियो सम्पादन	11	5	3	1	1	1
4.	ध्वनिमुद्रण तथा टेलीविज़न अभियांत्रिकी	11	5 एफ	3	1	1	1

डी: बैंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए एक स्थान आरक्षित है – आत्मकेंद्रति (ऑटिज्म), बौद्धिक अक्षमता, विशेष सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी।

एफ : बैंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए एक स्थान आरक्षित है : - दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में उल्लेख अन्य " विशेष दिव्यांगता " जैसे कि क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कनडिशनस, मल्टीपल स्केलेरोसिस, थैलेसीमिया, हीमोफ़ीलिया, सिकल सेल रोग, पार्किंनसन रोग, बोलने और भाषा की दिव्यांगता।

टेलीविज़न स्कंध में विभिन्न विशेषज्ञता स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए के लिए मानदंड पात्रता :

क्र.स.	विशेषज्ञता का नाम	पात्रता के मानदण्ड
1.	निर्देशन	किसी भी शाखा में स्नातक की पदवी या उसके समकक्ष
2.	इलेक्ट्रॉनिक्स चलचित्रांकन	
3.	वीडियो सम्पादन	
4.	ध्वनिमुद्रण तथा टेलीविज़न अभियांत्रिकी	

***नोट: डिग्री समकक्षता अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की जानी है।**

भाफिटेसं – प्रवेश परीक्षा-2025-26 के माध्यम से स्नातकोत्तर पदवी और स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण

1. भाफिटेसं दो समूहों अर्थात् समूह क और समूह ख में ग्यारह (11) पाठ्यक्रमों में प्रवेश दे रहा है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में बताया गया है।

2. एक अभ्यर्थी फिल्म स्कंध और टेलीविजन स्कंध के नीचे दी गई तालिका में क्रमांक 1 से 4 में उल्लिखित विषयों में से अधिकतम दो पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकता है (जिन पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है, उनका विवरण बाद में दिया गया है)।

3. अभ्यर्थी नीचे दी गई तालिका में क्रमांक 5 और 6 में उल्लिखित केवल एक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर सकता है।

इस प्रकार पाठ्यक्रमों का समूह होगा :

क्र.सं.	समूह क	क्र.सं.	समूह ख
1. **क**	निर्देशन और पटकथा लेखन में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में तीन वर्षीय ललित कला स्नातकोत्तर	**1.** ख **(I)** **1.** ख **(II)**	निर्देशन में विशेषज्ञता के साथ टीवी में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम स्क्रीन लेखन में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में दो वर्षीय ललित कला में स्नातकोत्तर (फिल्म, टेलीविजन और वेब सीरीज)
2. **क**	चलचित्रांकन में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में तीन वर्षीय ललित कला स्नातकोत्तर	**2.** ख	इलेक्ट्रॉनिक चलचित्रांकन में विशेषज्ञता के साथ टीवी में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
3. **क**	संपादन में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में तीन वर्षीय ललित कला स्नातकोत्तर	**3.** ख	वीडियो संपादन में विशेषज्ञता के साथ टीवी में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
4. **क**	सिनेमा में तीन वर्षीय ललित कला स्नातकोत्तर, ध्वनि रिकॉर्डिंग और ध्वनि संरचना में विशेषज्ञता सहित	**4.** ख	ध्वनि रिकॉर्डिंग और टीवी इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ टीवी में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
5. **क**	कला निर्देशन और निर्माण संरचना में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में तीन वर्षीय ललित कला स्नातकोत्तर		
6. **क**	स्क्रीन अभिनय में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में दो वर्षीय ललित कला स्नातकोत्तर		

आवेदन के लिए कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों का चयन

ऊपर बताए गए समूहों के अनुसार अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रणाली से आवेदन कर सकते हैं:

केवल एक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन:

यदि कोई अभ्यर्थी केवल एक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करना चाहता है, तो वे समूह क अथवा ख में से किसी एक पाठ्यक्रम के लिए अर्थात् ऊपर दी गई तालिका में सूचीबद्ध ग्यारह (11) पाठ्यक्रमों में से एक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर सकता है।

दो पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन:

(क) यदि कोई अभ्यर्थी दो पाठ्यकमों के लिए आवेदन करना चाहता है :तो वे समूह क अथवा ख पाठ्यकमों के " समान विषय" में (केवल क्रमांक1 से 4 में उल्लिखित पाठ्यकमों के लिएएक (पाठ्यकमों के लिए आवेदन कर सकता है ।उदाहरण के लिए, कोई अभ्यर्थी **संपदान में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में तीन वर्षीय ललित कला में स्नातकोत्तर और वीडियो संपादन में विशेषज्ञता के साथ टीवी में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यकम** के लिए आवेदन कर सकता है। **यह क्रमांक 1 से 4 में उल्लिखित सभी पाठ्यकमों के लिए मान्य है।**

(ख) निर्देशन और पटकथा लेखन (डीएसपीडब्ल्यू) विषय(तालिका में क्रमांक 1) , अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित प्रणाली से **तीन विकल्पों में से दो पाठ्यक्रमों में आवेदन करने का विकल्प है** :**निर्देशन और पटकथा लेखन (डीएसपीडब्ल्यू) में विशेषज्ञता के साथ तीन वर्षीय ललित कला में स्नातकोत्तर** और **निर्देशन में विशेषज्ञता** के साथ टीवी में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यकम या **स्क्रीन लेखन फिल्म), टीवी और वेबसीरीज(** में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में दो वर्षीय ललित कला में स्नातकोत्तर अर्थात् उदाहरण के लिए ऊपर दी गई तालिका में से**.1 क और .1ख(I) अथवा.1 क और .1ख (II) ।**

(ग) क्रमांक 5 क और 6क में उल्लिखित पाठ्यक्रम: कोई भी अभ्यर्थी केवल एक ही पाठ्यक्रम अर्थात् कला निर्देशन और निर्माण संरचना (क.नि.नि.सं) में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में तीन वर्षीय ललित कला में स्नातकोत्तर (5क) अथवा स्क्रीन अभिनय में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में दो वर्षीय ललित कला में स्नातकोत्तर (6 क) के लिए आवेदन कर सकता है।

(घ) निर्देशन / पटकथा लेखन विषय (तालिका में क्रमांक 1) : कोई भी अभ्यर्थी निर्देशन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यकम अथवा सिनेमा में दो वर्षीय ललित कला में स्नातकोत्तर स्क्रीन लेखन के लिए एक साथ आवेदन नहीं कर सकता।

फिल्म और टीवी स्कंध के विभिन्न विशेषज्ञताओं प्रवेश के लिए चयन प्रक्रिया के चरण

भाफिटेसं – प्रवेश परीक्षा-2025-2026 नीचे वर्णित अनुसार दो चरणों में आयोजित किया जाएगा:

स्क्रीन अभिनय में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में ललित कला में स्नातकोत्तर के लिए चयन प्रक्रिया, बाकी कार्यक्रमों से अलग होगी।

क. फिल्म और टेलीविज़न स्कंध में विभिन्न विशेषज्ञताओं में प्रवेश के लिए चयन प्रक्रिया के चरण, जिसमें सिनेमा में ललित कला स्नातकोत्तर के स्क्रीन अभिनय को छोड़कर विशेषज्ञता शामिल है।

चरण – 1: दो पेपरों के साथ लिखित परीक्षा (पेपर- I वस्तुनिष्ठ और पेपर II विषयनिष्ठ)

चरण-2: मिश्रित प्रारूप मूल्यांकन - व्यावहारिक, विश्लेषणात्मक, प्रदर्शन और संवाद

चरण-1:

सिनेमा में ललित कला स्नातकोत्तर (सिनेमा कार्यक्रम) और एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते है तो वे अभ्यर्थियों को भाफिटेसं – **प्रवेश परीक्षा-2025-2026** की लिखित परीक्षा (पेपर-I और II दोनों) में उपस्थित होना अनिवार्य है।

चरण-2:

चरण-1 (लिखित परीक्षा) में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरण (चरण-2) के लिए उपस्थित होना चाहिए।

अंतिम मेरिट सूची

अंतिम मेरिट सूची, चरण-1 और चरण-2 में अभ्यर्थी के कुल प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी, जिसमें **क्रमशः 25% और 75% के** महत्व के आधार पर तैयार की जाएगी; यह सूची विवरणिका (प्रॉस्पेक्टस) में उल्लिखित नियमों और शर्तों के पूर्ण अनुपालन के अधीन होगी।

चरण-1: लिखित परीक्षा

चरण 1-का प्रकार:

• पेपर-**I:** वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र

• पेपर-**II:** विषयनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र

प्रश्न पत्र का स्वरूप :

क्र.सं.	प्रश्न पत्र का स्वरूप	प्रश्न पत्र की संरचना
पेपर-I	वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीव्यूँ). प्रश्न पत्र.	• कुल **60** अंकों के साथ केवल **30** प्रश्न। • प्रत्येक **MCQ** प्रश्न के लिए **02** अंक होंगे। • प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प होंगे और उनमें से केवल एक ही सही विकल्प होगा। • प्रत्येक सही उत्तर के लिए +**02** अंक दिए जाएंगे। • बिना प्रयास किए गए प्रश्न के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। • गलत उत्तरों और/या एक से अधिक विकल्प चुनने पर (-) 0.5 अंक दिए जाएँगे। • पेपर-**I** में पाठ्यक्रम आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक संबद्ध कला, साहित्य, सामान्य ज्ञान और जागरूकता को कवर करने वाले प्रश्न और विशेषज्ञता के चुने हुए क्षेत्र से विशेष रूप से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे।
पेपर-II	विषयनिष्ठ प्रश्न	विषय के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए 40 अंकों का वर्णनात्मक प्रश्न होगें।

चरण 1-की प्रक्रिया

1. पूरे भारत में कई केंद्रों पर लिखित परीक्षा होगी।
2. इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के लिए विचार किए जाने के लिए दोनों पेपर को देने होगें।
3. लिखित परीक्षा के लिए आवंटित कुल समय: 2 घंटे 30 मिनट।
4. समग्र चयन प्रक्रिया में चरण-1 का वेटेज कुल अंकों **(चरण 1 + चरण 2)** का 25% होगा।

5. सभी अभ्यर्थी के लिए पेपर-I का मूल्यांकन किया जाएगा और पेपर-I में योग्य अभ्यर्थी का परिणाम प्रकाशित किया जाएगा। केवल पेपर-I में योग्य अभ्यर्थियों ही पेपर-II के मूल्यांकन के लिए पात्र होंगे।
6. **पेपर II के मूल्यांकन के लिए योग्यता मानदंड:** पेपर-I में अधिकतम 32 x 'A' अभ्यर्थी को पेपर – 1 में गैर-शून्य सकारात्मक स्कोर के अधीन योग्य माना जाएगा (जहाँ 'A' किसी कार्यक्रम में सीटों की कुल संख्या है। किसी कार्यक्रम में सीट की श्रेणी के अनुसार सभी सीटों के लिए 1:32 के अनुपात का पालन किया जाएगा।)

7. **चरण 2-के लिए योग्यता मानदंड :**अभ्यर्थी को 1:4 (4 x'ए') के अनुपात में लिखित परीक्षा (दोनों पेपरों के) के अंतिम अंकों के आधार पर योग्य माना जाएगा (जहाँ ए किसी कार्यक्रम में सीटों की कुल संख्या है। किसी कार्यक्रम में स्थान की श्रेणी के अनुसार सभी स्थानों के लिए के 1:4 अनुपात का पालन किया जाएगा। चरण 2-के लिए योग्य अभ्यर्थी की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी।

चरण – 2 व्यावहारिक, विश्लेषणात्मक, निष्पादन और संवाद

चरण 2-का प्रकार :

1. यह चरण विविध तौर तरीकों का उपयोग करके दक्षताओं की विस्तृत श्रृंखला में-अभ्यर्थियों का आकलन करेगा, जिससे कौशल का समग्र मूल्यांकन और समग्र उपयुक्तता सक्षम होगी।
2. भाफिटेसं, पुणे परिसर में चरण -2 का आयोजन किया जाएगा।
3. अभ्यर्थियों चरण -2 मूल्यांकन की अवधि के लिए यात्रा, आवास और भोजन की व्यवस्था स्वयं करेंगे।
4. समग्र चयन प्रक्रिया में चरण 2-का महत्व 70% होगा।

ख. स्क्रीन अभिनय में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में ललित कला के स्नातकोत्तर के लिए प्रवेश प्रक्रिया के चरण

चरण-1: लिखित परीक्षा (बहुविकल्पीय प्रश्न -आधारित लिखित परीक्षा)

जो अभ्यर्थी स्क्रीन अभिनय में विशेषज्ञता के साथ ललित कला स्नातकोत्तर में प्रवेश पाने चाहते हैं, उन्हें भाफिटेसं प्रवेश परीक्षा 2025-26 की लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा।

चरण-2: ऑडिशन, प्रदर्शन और संवाद

जो अभ्यर्थी चरण-1 (लिखित परीक्षा) में उतीर्ण करते हैं, उन्हें परीक्षा के चरण-2 में शामिल होना होगा।

अंतिम मेरिट सूची

अंतिम मेरिट सूची चरण-1 और चरण-2 में कुल प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी, जिसमें क्रमशः 25% और 75% का महत्व दिया जाएगा; यह विवरणिका में बताई गई शर्तों और नियमों को पूरा करने पर निर्भर होगा।

चरण-1: लिखित परीक्षा

चरण-1 का प्रकार: **बहुविकल्पीय प्रश्न** -आधारित लिखित परीक्षा

परीक्षा का प्रकार	प्रश्न पत्र का पैटर्न	प्रश्न पत्र की संरचना
लिखित परीक्षा	बहुविकल्पीय प्रश्न(एमसीव्यूँ).	कुल **100** अंकों के **50** प्रश्नों को दो खंडों में बांटा जाएगा: **खंड I: 50** अंक **खंड-II: 50** अंक • प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न(एमसीव्यूँ).प्रश्न **02** अंकों का होगा। • प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प होंगे, और उनमें से केवल एक ही सही विकल्प होगा। • केवल एक ही विकल्प चुनना/चयन करना है। • सही उत्तर के लिए +**02** अंक दिए जाएंगे, जबकि गलत उत्तर के लिए **0.5** अंक काटे जाएंगे। • एक से अधिक विकल्प चुनने/चयन करने पर (-) **0.5** अंक काटे जाएंगे। • जिन प्रश्नों को हल नहीं किया जाएगा, उनके लिए शून्य अंक दिए जाएंगे। • **खंड**-I: इसमें संबद्ध कला, साहित्य, इतिहास, समसामयिक मामले, सामान्य ज्ञान और जागरूकता से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। • **खंड**-II: इसमें अभिनय से संबंधित विशिष्ट प्रश्न शामिल होंगे।

चरण-1 की प्रक्रिया:

1. लिखित परीक्षा के लिए कुल आवंटित समय: 1 घंटा 30 मिनट।

2. लिखित परीक्षा का पेपर सभी उम्मीदवारों के लिए मूल्यांकित किया जाएगा, और लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के रोल नंबर वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे।

3. चरण-2 के लिए योग्यता मानदंड (कट-ऑफ): चरण-2 के लिए, किसी कार्यक्रम में सीट की श्रेणी के अनुसार, सभी सीटों के लिए अधिकतम 10 x 'A' (जहाँ 'A' किसी कार्यक्रम में सीटों की कुल संख्या है) अभ्यर्थी उत्तीर्ण किए जाएँगे; बशर्ते लिखित परीक्षा (चरण-1) में उनका स्कोर शून्य से अधिक (पॉजिटिव) हो। चरण-1 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी चरण-2 की प्रक्रिया में शामिल होंगे।

4. लिखित परीक्षा का परिणाम: लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण और चरण-2 (अर्थात्, ऑडिशन, प्रदर्शन और संवाद) के लिए पात्र उम्मीदवारों के रोल नंबर प्रकाशित किए जाएँगे।

5. चरण-1 के कुल अंक: 100 अंक।

6. लिखित परीक्षा का वेटेज (भार): कुल अंकों का 25% (चरण-1 और चरण-2 मिलाकर)।

चरण-2: ऑडिशन, प्रदर्शन और संवाद

चरण-2 का तरीका:

1. चरण-2 ऑडिशन, प्रदर्शन और संवाद पर आधारित है।
2. चरण-2 भाफिटेसं पुणे परिसर में आयोजित किया जाएगा।

चरण-2 की प्रक्रिया:

1. यह चरण 'सिनेमा में विशेषज्ञता के साथ ललित कला स्नातकोत्तर के अंतर्गत ' स्क्रीन अभिनय कार्यक्रम ' में विशेषज्ञता के लिए उम्मीदवारों की समग्र उपयुक्तता का विस्तृत रूप से मूल्यांकन होगा।
2. चरण-2 भाफिटेसं पुणे परिसर में आयोजित किया जाएगा।
3. लघु सूची में शामिल किए गए उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर, चरण-2 आयोजित किया जायेगा।
4. चरण-2 के कुल अंक: 100।
5. चरण-2 का वेटेज (भार): कुल अंकों का 75% (चरण-1 और चरण-2 मिलाकर)।
6. चरण-2 मूल्यांकन प्रक्रिया के घटक निम्नलिखित हैं:

घटक 1: एकीकृत ऑडिशन - 50 अंक

- सहजता, कल्पनाशक्ति, अनुकूलन क्षमता और प्रदर्शन की सहज प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए तत्काल, मौके पर ही प्रदर्शन गतिविधियाँ या अभ्यास
- तैयार किया गया मोनोलॉग (3 मिनट तक, हिंदी या अंग्रेजी में)

घटक 2: व्यक्तिगत संवाद (साक्षात्कार) - 50 अंक - मूल्यांकन में शामिल होगा:

- प्रेरणा और उद्देश्य
- सामान्य और सिनेमाई जागरूकता
- गहन शैक्षणिक और कलात्मक प्रशिक्षण के लिए तत्परता

भाफिटेसं प्रवेश परीक्षा 2025-26 के तहत टाई-ब्रेकर नीति: 'सिनेमा में विशेषज्ञता के साथ ललित कला स्नातकोत्तर (स्क्रीन अभिनय में विशेषज्ञता के साथ) को छोड़कर सभी कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों के लिए कार्यक्रम और पाठ्यक्रम की मेरिट सूची तैयार करते समय, यानी चरण-1 और चरण-2 की परीक्षाओं के बाद, यदि सीट आवंटन के किसी भी चरण में दो या अधिक उम्मीदवारों के अंक समान आते हैं, तो निम्नलिखित टाई-ब्रेकर नीति को एक के बाद एक तब तक लागू किया जाएगा जब तक कि टाई के मामले हल नहीं हो जाते;

क) चरण-1 के पेपर-II मूल्यांकन के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के बीच टाई होने की स्थिति में, कट-ऑफ के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को योग्य माना जाएगा।

ख) चरण-2 के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के बीच टाई होने की स्थिति में, कट-ऑफ के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को योग्य माना जाएगा।

ग) अंतिम कार्यक्रम/पाठ्यक्रम मेरिट सूची तैयार करते समय टाई होने की स्थिति में।

कार्यक्रम/पाठ्यक्रम मेरिट सूची तैयार करते समय, यानी चरण-1 और चरण-2 की परीक्षाओं के बाद, यदि सीट आवंटन के किसी भी चरण में दो या अधिक उम्मीदवारों के अंक समान आते हैं, तो निम्नलिखित टाई-ब्रेकर नीति को एक के बाद एक तब तक लागू किया जाएगा जब तक कि टाई के मामले हल नहीं हो जाते।

1. चरण-2 परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को उच्च रैंक दी जाएगी।
2. यदि चरण-2 परीक्षा में अंक समान हैं, तो चरण-1 परीक्षा (पेपर I और II दोनों मिलाकर) में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्च रैंक दी जाएगी।
3. यदि चरण-1 में भी अंक समान हैं, तो पेपर-II में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्च रैंक दी जाएगी।
4. यदि पेपर-II में भी अंक समान हैं, तो पेपर-I में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्च रैंक दी जाएगी।

5. यदि Paper-I में भी अंक बराबर हों, तो अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को ऊँची रैंक दी जाएगी।

6. यदि ऊपर दिए गए किसी भी तरीके से टाई (tie) का समाधान नहीं होता है, तो एक रैंडम ड्रॉ (शायद चिट सिस्टम आदि के माध्यम से) आयोजित किया जाएगा।

भाफिटेसं प्रवेश परीक्षा - 2025-26 के तहत टाई-ब्रेकर नीति: स्क्रीन अभिनय में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में ललित कला स्नातकोत्तर के लिए

स्क्रीन अभिनय में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में ललित कला स्नातकोत्तर कार्यक्रम की मेरिट सूची तैयार करते समय, यानी चरण-1 और चरण-2 परीक्षाओं के बाद, यदि सीट आवंटन के किसी भी दौर में दो या अधिक उम्मीदवारों के अंक समान आते हैं, तो निम्नलिखित टाई-ब्रेकर नीति को एक के बाद एक तब तक लागू किया जाएगा जब तक कि टाई के मामले हल नहीं हो जाते;

क) चरण-2 के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के बीच टाई होने की स्थिति में, कट-ऑफ के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को योग्य माना जाएगा।

ख) अंतिम कार्यक्रम/पाठ्यक्रम मेरिट सूची तैयार करते समय टाई होने की स्थिति में।

कार्यक्रम/पाठ्यक्रम मेरिट सूची तैयार करते समय, यानी चरण-1 और चरण-2 परीक्षाओं के बाद, यदि सीट आवंटन के किसी भी दौर में दो या अधिक उम्मीदवारों के अंक समान आते हैं, तो निम्नलिखित टाई-ब्रेकर नीति को एक के बाद एक तब तक लागू किया जाएगा जब तक कि टाई के मामले हल नहीं हो जाते;

1. चरण-2 परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को ऊँची रैंक दी जाएगी।

2. यदि चरण-2 परीक्षा में अंक बराबर हों, तो चरण-1 में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ऊँची रैंक दी जाएगी।

3. यदि चरण-1 में भी अंक बराबर हों, तो अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को ऊँची रैंक दी जाएगी।

4. यदि ऊपर दिए गए किसी भी तरीके से टाई का समाधान नहीं होता है, तो एक रैंडम ड्रॉ (शायद चिट सिस्टम आदि के माध्यम से) आयोजित किया जाएगा।

भाफिटेसं – प्रवेश परीक्षा-2025-2026 के लिए पंजीकरण शुल्क

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	सामान्य/ओबीसी-एनसीएल/जनरल-ईडब्ल्यूएस	एस/एसटी/पीडब्ल्यूडी /महिला
1	**एकल पाठ्यक्रम**	**₹ 1500/-**	**₹500/-**
2	**दो पाठ्यक्रम**	**₹ 2500/-**	**₹800/-**

नोट: भुगतान की गई फीस किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी, न ही इसे किसी अन्य को हस्तांतरित किया जा सकता है और न ही समायोजित किया जा सकता है। ऑनलाइन लेन-देन के लिए लगने वाले बैंक शुल्क का वहन आवेदक को स्वयं करना होगा।

भाफिटेसं – प्रवेश परीक्षा 2025-2026 लिखित परीक्षा केंद्र

लिखित परीक्षा देश के 26 स्थानों पर आयोजित की जाएगी। हालाँकि, भाफिटेसं अपने विवेक से किसी भी परीक्षा केंद्र शहर को बदलने और/या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इच्छुक/अभ्यर्थियों वरीयता क्रम में अधिकतम 3 स्थानों का चयन कर सकते हैं।

क्र. स.	स्थान	क्र. स.	स्थान	क्र. स.	स्थान	क्र. स.	स्थान
1	अगरतला	8	चेन्नई	15	जम्मू	22	पुणे
2	अहमदाबाद	9	देहरादून	16	कोलकाता	23	रायपुर
3	प्रयागराज	10	गुवाहाटी	17	लखनऊ	24	रांची
4	बेंगलुरु	11	गंगटोक	18	मुंबई	25	श्रीनगर
5	भोपाल	12	हैदराबाद	19	नई दिल्ली	26	तिरुवनंतपुरम
6	भुवनेश्वर	13	इंफाल	20	पटना		
7	चंडीगढ़	14	जयपुर	21	पोर्ट ब्लेयर		

ख. भाफिटेसं प्रवेश परीक्षा (चरण-1) अनुसूची

भाफिटेसं –प्रवेश परीक्षा 2025-2026 अनुसूची

समूह क

क्र. स.	कार्यक्रम / पाठ्यक्रम	परीक्षा दिनांक
1	निर्देशन और पटकथा लेखन में विशेषज्ञता के साथ सिनेमा में ललित कला में स्नातकोत्तर	रविवार, 26 अप्रैल, 2026 समय: सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक
2	सिनेमा में चलचित्रांकन में विशेषज्ञता के साथ ललित कला में स्नातकोत्तर	
3	सिनेमा में संपादन में विशेषज्ञता के साथ ललित कला में स्नातकोत्तर	
4	सिनेमा में ध्वनि रिकॉर्डिंग और ध्वनि संरचना में विशेषज्ञता के साथ ललित कला में स्नातकोत्तर	
5	सिनेमा में कला निर्देशन और निर्माण संरचना में विशेषज्ञता के साथ ललित कला में स्नातकोत्तर	
6	सिनेमा में स्क्रीन अभिनय में विशेषज्ञता के साथ ललित कला में स्नातकोत्तर	

समूह ख

क्र. स.	कार्यक्रम / पाठ्यक्रम	परीक्षा दिनांक
1	सिनेमा में स्क्रीन लेखन के साथ ललित कला में स्नातकोत्तर (फिल्म,टीवी और वेब सीरीज)	रविवार, 26 अप्रैल,2026 समय: दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.00 बजे तक
2	टेलीविजन में निर्देशन में विशेषज्ञता के साथ एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र	
3	टेलीविजन में इलेक्ट्रॉनिक चलचित्रांकन में विशेषज्ञता के साथ एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र	
4	टेलीविजन में वीडियो संपादन में विशेषज्ञता के साथ एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र	
5	टेलीविजन में ध्वनि रिकॉर्डिंग और टीवी इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र	

लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को निर्देश

1. परीक्षा सीट संख्या परीक्षा हॉल के बाहर प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इसे पहले से ही अच्छी तरह से पता कर लें। उत्तर पुस्तिका में केवल परीक्षा सीट संख्या ही लिखी जानी चाहिए।

   उत्तर पुस्तिका में नाम न लिखें।

2. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा के लिए आवास, भोजन और यात्रा की व्यवस्था स्वयंकरनी होगी। परीक्षा के किसी भी चरण में उन्हें कोई यात्रा भत्ता या अन्य भत्ता नहीं दिया जाएगा।
3. उपस्थित स्नातकों को विवरणिका में बताए अनुसार अपनी स्नातक परीक्षा प्रस्तुत करने के अधीन अनंतिम रूप से अनुमति दी जाती है। कृपया इस संबंध में सभी प्रावधानों की जाँच करें।
4. योग्य आवेदकों अर्थात् अभ्यर्थियों को कोई भी लिखित सामग्री (छपी हुई या हाथ से लिखी), कागज़ के टुकड़े, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, लॉग टेबल, कैलकुलेटर की सुविधा वाली इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ, पेजर, मोबाइल फ़ोन, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। ऐसी सभी चीज़ें परीक्षा हॉल के अंदर प्रतिबंधित हैं। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड/हॉल टिकट की कोई भी डिजिटल/सॉफ्ट कॉपी लाने की अनुमति नहीं है। केवल एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी और लिखने का सामान, जैसे पेन, पेंसिल, रबर आदि लाने की अनुमति है। अभ्यर्थियों को टेस्ट बुकलेट पर करेक्शन/व्हाइट फ्लूइड इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है।
5. योग्य आवेदकों अर्थात् अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन सहित कोई भी प्रतिबंधित वस्तु न लाएं, क्योंकि सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती।
6. योग्य आवेदक अर्थात् अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान किसी भी रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से/ सहपाठी अभ्यर्थियों से सहायता प्राप्त नहीं करनी चाहिए या उन्हें सहायता नहीं देनी चाहिए या नकल में शामिल नहीं होना चाहिए ।
7. स्केच के अलावा, परीक्षा केवल नीलीकाली स्याही/ से ही लिखी जानी चाहिए। यदि पूरा पेपर या उसका कोई भाग नीलीकाली स्याही से नहीं लिखा गया है/, तो कोई मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
8. हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण में किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर अंग्रेजी संस्करण में पूछे गए प्रश्नों को अंतिम माना जाएगा।
9. वर्णनात्मक उत्तर केवल हिंदी या अंग्रेजी भाषा में ही लिखे जाने चाहिए। हिंदी सहित किसी भी अन्य भाषा में लिखे गए उत्तर या अंग्रेजी (रोमन लिपि) को गलत उत्तर माना जाएगा।

10. अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी के साथ कम से कम एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालयकॉलेज द्वारा जारी / पहचान पत्र, आयकर पैन कार्ड परीक्षा हॉल में ले जाना होगा, ऐसा न करने पर उन्हें लिखित परीक्षा और अथवा चरण-2 मूल्यांकन के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी । किसी भी अभ्यर्थियों को वैध एडमिट कार्ड और मूल फोटो पहचान प्रमाण के बिना परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले और परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद तक परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने के 01 घंटे बाद ही परीक्षा हॉल छोड़ सकते हैं, लेकिन अंतिम 15 मिनट में उन्हें जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद उन्हें परीक्षा हॉल छोड़ना होगा।

12. उपरोक्त के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों से विवरणिका में प्रकाशित और समयसमय पर जारी निर्देशों - अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वर्तमान और भविष्य की परीक्षाओंचयनों से प्रतिबंध लगाना शामिल है।

13. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा संबंधी अद्यतन जानकारी के लिए भाफिटेसं की वेबसाइट के लिंक www.भाफिटेसं.ac.in और http://applyadmission.co.in/भाफिटेसं2025-26 नियमित रूप से देखते रहें।

सीट आवंटन और प्रवेश पुष्टि प्रक्रिया

यदि कोई आवेदक दो प्रोग्राम/कोर्स चुन रहा है, तो उसे आवेदन फ़ॉर्म जमा करते समय प्रोग्राम/कोर्स की प्राथमिकता देनी होगी, जिसे बाद में बदला नहीं जा सकता। सीट आवंटन की गणना करते समय इसी प्रोग्राम/कोर्स प्राथमिकता का उपयोग किया जाएगा।

1. भाफिटेसं प्रवेश परीक्षा 2025–26 के लिए, ग्रुप A और ग्रुप B में बताए गए 11 कार्यक्रमों के लिए कुल 11 मेरिट लिस्ट जारी की जाएंगी।
2. प्रत्येक कार्यक्रम/पाठ्क्रम की मेरिट लिस्ट में श्रेणीवार रैंक लिस्ट होगी।
3. भाफिटेसं प्रवेश परीक्षा 2025–26 में अभ्यर्थी निष्पादन और अन्य नियमों के आधार पर, अभ्यर्थियों का रोल नंबर किसी विशेष पाठ्यक्रम की एक या एक से अधिक रैंक सूची में दिखाई दे सकता है।
4. इसके अलावा, अभ्यर्थी के पाठ्यक्रम पंजीकरण और उससे संबंधित निष्पादन के आधार पर, अभ्यर्थी का रोल नंबर एक या अधिकतम दो मेरिट सूची में अर्थात् अभ्यर्थी के पाठ्यक्रम पंजीकरण के अनुसार समूह क से एक पाठ्यक्रम और समूह ख से एक पाठ्यक्रम दिखाई दे सकता है।
5. सीट आवंटन, भाफिटेसं प्रवेश परीक्षा 2025–26 के तहत घोषित संबंधित कार्यक्रम/पाठ्यक्रम की रैंक लिस्ट पर आधारित होगा, और यह योग्यता क्रम तथा अन्य नियमों के अनुसार किया जाएगा।
6. सीट आवंटन के लिए किसी विशेष कार्यक्रम/पाठ्यक्रम हेतु (इसी तरह 11 मेरिट लिस्ट तैयार की जाएंगी) निम्नलिखित प्रकार की रैंक लिस्ट का उपयोग किया जाएगा:

i) सामान्य रैंक सूची (सीआरएल) इसमें सामान्य :, सामान्य- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ओबीसीएनसीएल-, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों शामिल हैं।

ii) सामान्य- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग रैंक सूची- सामान्य ईडब्ल्यूएस श्रेणी के-अभ्यर्थियों शामिल हैं।

iii) ओबीसी एनसीएल रैंक सूची: इसमें ओबीसी-एनसीएल श्रेणी के-अभ्यर्थियों शामिल हैं।

iv) अनुसूचित जाति रैंक सूची इसमें :अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों शामिल हैं।

v) अनुसूचित जनजाति रैंक सूची इसमें :अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों शामिल हैं।

vi) सामान्य-दिव्यांग रैंक सूची इसमें :सामान्य-दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी के अभ्यर्थियों शामिल हैं।

vii) ओबीसी-एनसीएल-दिव्यांग(पीडब्ल्यूडी) रैंक सूची: इसमें वे अभ्यर्थी शामिल हैं जो ओबीसी- एनसीएल - दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी से संबंधित हैं।

7.क किसी अभ्यर्थियों को सीट निम्नलिखित कारणों पर विचार करके आवंटित की जाती है :

I. अभ्यर्थी की श्रेणी अभ्यर्थी की श्रेणी [सामान्य , सामान्य- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ओबीसी एनसीएल, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति वर्ग ,सामान्य-दिव्यांग]

II. संबंधित पाठ्यक्रम की मेरिट सूची की संबंधित रैंक सूची में अभ्यर्थी का स्थान ।

III. विभिन्न सीट श्रेणियोंसीट कोटा में सीटों की उ/पलब्धता जिसके लिए अभ्यर्थी योग्य है।

IV. इस दस्तावेज़ में उल्लिखित अन्य नियम।

8. किसी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम की मेरिट लिस्ट जारी करते समय (पहले राउंड के साथ-साथ बाद के राउंड में भी), यदि किसी अभ्यर्थी को ऐसी सीट ऑफर की जाती है जो सीट अलॉटमेंट में उसकी एकमात्र सीट/पसंद – 1 होती है, तो उस सीट को 'ऑटो-फ्रीज़' माना जाएगा। इस प्रकार, उस राउंड के बाद से, ऐसे अभ्यर्थी का सीट अलॉटमेंट में पसंद – 2 (यदि कोई हो) पर कोई दावा नहीं रहेगा, और वह अन्य प्रोग्रामों/कोर्सों की मेरिट लिस्ट का हिस्सा भी नहीं रहेगा।

9. हालाँकि, यदि सीट अलॉटमेंट में पसंद – 2 के अनुसार कोई सीट ऑफर की जाती है, तो अभ्यर्थी का पसंद – 1 वाली सीट पर दावा बना रहेगा (उसका रोल नंबर तब तक दोनों मेरिट-वेट लिस्ट का हिस्सा बना रहेगा जब तक कि पसंद और मेरिट के अनुसार सीट का चयन तय नहीं हो जाता)।

10. इसके अलावा, यदि किसी अभ्यर्थी का रोल नंबर दो अलग-अलग कोर्सों की दो मेरिट लिस्ट में दिखाई देता है, और यदि सीट अलॉटमेंट में उसे न तो पसंद – 1 के अनुसार और न ही पसंद – 2 के अनुसार कोई सीट अलॉट की जाती है, तो अभ्यर्थी दोनों प्रोग्रामों/कोर्सों की मेरिट-वेट लिस्ट का हिस्सा बना रहेगा।

11. ऑफर की गई सीट को स्वीकार करने के लिए, अभ्यर्थी को तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम (SB Collect पोर्टल के माध्यम से) के ज़रिए 50,000/- रुपये की 'नॉन-रिफंडेबल सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस' (SAF) जमा करनी होगी।

12. यदि अभ्यर्थी समय सीमा तक सीट स्वीकृति शुल्क का भुगतान न करने पर, अभ्यर्थियों को प्रस्तावित सीट पर कोई दावा नहीं रहेगा और वह उस विशेष पाठ्यक्रम के लिए सीट आवंटन के अगले दौर के लिए भी पात्र नहीं होगा। तदनुसार, उस सीट को नियमों के अनुसार अगले योग्य अभ्यर्थियों को आंवटित किया जाएगा।

13. पाठ्यक्रम फीस और अन्य शुल्क अलग अलग-पाठ्यक्रम में अलग-अलग होंगे और सीट स्वीकृति शुल्क अलग होंगे। हालाँकि, सीट स्वीकृति शुल्क को पाठ्यक्रम फीस और अन्य शुल्कों में समायोजित किया जाएगा। पाठ्यक्रम फीस और अन्य शुल्कों के विवरण के लिए, कृपया भाफिटेसं विवरणिका (प्रॉस्पेक्टस) 2025-26 में दी गई तालिका में उल्लेख किये गये प्रवेश शुल्क देखें।

14. प्रस्तावित सीट किसी अभ्यर्थी को सीट स्वीकृति शुल्क प्राप्त होने के बाद ही, दिए गए राउंड के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि और समय से पहले, अनंतिम रूप से आवंटित की जाएगी। उक्त अनंतिम आवंटन का अर्थ है कि अभ्यर्थी ने प्रस्तावित सीट स्वीकार कर ली है, लेकिन भाफिटेसं से अंतिम स्वीकृति संस्थान द्वारा प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों के सफल सत्यापन और संस्थान में -

15. इसके अलावा, शेष पाठ्यक्रम फीस और अन्य शुल्क निर्दिष्ट अंतिम तिथि और समय से पहले भुगतान किए जाने चाहिए, अन्यथा सीट स्वीकृति शुल्क अभिग्रहण किया जायेगा और प्रस्तावित सीट वापस ले ली जाएगी।

16. किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिए सीट आवंटन का अगला चरण केवल तभी किया जाएगा, जब उस पाठ्यक्रम में सीटें रिक्त रह जाएंगी, जो इस दस्तावेज़ में बताए गए अन्य नियमों के अधीन होगा।

17. आगामी चरणों में रिक्त सीटों को पहले उस विशेष पाठ्यक्रम के प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, जो सीटें रिक्त है।

विशेष प्रवेश राउंड-1 (मुख्य प्रवेश राऊंद समाप्त होने के बाद)

1. जब उस विशेष पाठ्यक्रम की प्रतीक्षा सूची नियमों के अनुसार पूरी तरह समाप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी सीटें रिक्त रहती हैं, तो नियमों के अनुसार आरक्षण बनाए रखते हुए , विशेष प्रवेश राउंड आयोजित किया जाएगा, जिसमें उस विशेष पाठ्यक्रम की लिखित परीक्षा की मेरिट सूची से शेष अभ्यर्थियों (जिन्हें चरण-2 परीक्षा के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था) को, मेरिट के क्रम में और आरक्षण नीति का पालन करते हुए, 1:4 के अनुपात (1 खाली सीट के लिए 4 अभ्यर्थी) में उस पाठ्यक्रम की ऑनलाइन चरण-2 परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

2. उक्त ऑनलाइन चरण-2 परीक्षा एवं लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर, उस विशेष पाठ्यक्रम की रिक्त सीटों के लिए नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जाएगी तथा रिक्त सीटों को मेरिट के क्रम में संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रदान किया जाएगा।

3. यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि संस्थान की नीति के अनुसार उस विशेष कार्यक्रम/ पाठ्यक्रम की शेष लिखित परीक्षा की मेरिट लिस्ट से समाप्त नहीं हो जाती।

4. इसके अलावा, यदि किसी विशेष कार्यक्रम/पाठ्यक्रम में कोई सीट सामान्य – दिव्यांग श्रेणी के लिए आरक्षित है, और यदि सामान्य – दिव्यांग सीट के लिए प्रतीक्षा सूचीसमाप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी सीट खाली रहती है, तो वह सीट नियमों के अनुसार, मेरिट क्रम में, सामान्य – अनारक्षित प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी को दी जाएगी।

5. यदि किसी विशेष कार्यक्रम/पाठ्यक्रम में कोई सीट अन्य पिछड़ा वर्ग – नॉन-क्रीमी लेयर – दिव्यांग श्रेणी के लिए आरक्षित है, और यदि अन्य पिछड़ा वर्ग – नॉन-क्रीमी लेयर – दिव्यांग सीट के लिए प्रतीक्षा सूचीसमाप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी सीट खाली रहती है, तो वह सीट नियमों के अनुसार, मेरिट क्रम में, अन्य पिछड़ा वर्ग – नॉन-क्रीमी लेयर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी को दी जाएगी।

6. साथ ही, यदि उस विशेष कार्यक्रम/पाठ्यक्रम की अन्य पिछड़ा वर्ग – नॉन-क्रीमी लेयर श्रेणी की प्रतीक्षा सूची समाप्त हो जाती है, और सीटें (सीट) अभी भी खाली रहती हैं, तो वे सीटें नियमों के अनुसार, मेरिट क्रम में, सामान्य – अनारक्षित प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को दी जाएंगी।

7. साथ ही, यदि उस विशेष कार्यक्रम/पाठ्यक्रम की अनु.जाति/अनु.जनजाति श्रेणी (या इसके विपरीत) की प्रतीक्षा सूचीसमाप्त हो जाती है, और उस संबंधित श्रेणी में सीटें (सीट) अभी भी खाली रहती हैं, तो वे खाली सीटें मेरिट क्रम में, अनु.जनजाति /अनु.जाति श्रेणी के प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थी(रों) को दी जाएंगी; अर्थात् अनु.जाति/की सीट अनु.जनजाति/को या इसके विपरीत।

8. ऊपर बताए गए सभी प्रावधानों को पूरा करने/लागू करने के बाद भी, यदि सीटें (सीट) अभी भी खाली रहती हैं, तो उन्हें संस्थान द्वारा नियमों के अनुसार भरा जा सकता है।

नोट:

1.जो अभ्यर्थी बाद के प्रतीक्षा सूची राउंड और/या विशेष प्रवेश राउंड के माध्यम से प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें भी ' सीट स्वीकृति शुल्क ' और शेष पाठ्यक्रम शुल्क व अन्य शुल्क उसी तरह जमा करने होंगे, जैसे कि सीट आवंटन के पिछले/पहले राउंड के लिए किए गए थे; और इन अभ्यर्थियों पर भी वही नियम लागू होंगे।

2.प्रवेश के सभी संभावित राउंड पूरे करने के बाद भी, यदि अनु.जाति और/या अनु.जनजाति और/या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी की सीटें खाली रह जाती हैं, तो वे सीटें बिना भरी/खाली ही रहेंगी।

3.जो अभ्यर्थी बाद के प्रतीक्षा सूची राउंड और/या विशेष प्रवेश राउंड के माध्यम से प्रवेश लेना चाहते हैं, उनकी शुरुआती कुछ हफ़्तों की कक्षाएं छूट सकती हैं, और उन कक्षाओं को दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। पहली क्लास शुरू होने के चार (04) हफ़्ते बाद एडमिशन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी।

4.अलग-अलग पाठ्यक्रमों की जारी मेरिट लिस्ट देखने के लिए भाफिटेसं की वेबसाइट पर नियमित रूप से देखने अभ्यर्थी की ज़िम्मेदारी है। यह भी अभ्यर्थी की ज़िम्मेदारी है कि वह अपनी ईमेल आईडी को चालू रखे (जैसा कि आवेदन फ़ॉर्म भरते समय दिया गया था) और उसे नियमित रूप से चेक करता रहे, क्योंकि भाफिटेसं की ओर से कोई भी जानकारी, अगर कोई हो, तो वह केवल रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ही भेजी जाएगी।

5.एक बार जब कोई अभ्यर्थी स्पेशल एडमिशन राउंड के बाद दी गई सीट स्वीकार कर लेता है, तो वह मूल मेरिट/प्रतीक्षा सूचीमें अपनी जगह पर अपना दावा खो देगा।

6. स्पेशल प्रवेश राउंड और भाफिटेसं प्रवेश परीक्षा -2025-26 से जुड़ी कोई भी अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण भाफिटेसं की वेबसाइट/एडमिशन वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

भाफिटेसं (भाफिटेसं) प्रवेश परीक्षा 2025-26 के माध्यम से स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए फ़ीस का स्वरूप

फ़िल्म स्कंध के सिनेमा में ललित कला स्नातकोत्तर के विभिन्न विशेषज्ञता

ट्यूशन फ़ीस ,छात्रवास किराया तथा अन्य प्रभार :

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	सत्र - 1			शेष सत्र		
		ट्यूशन फ़ीस (रु.)	छात्रवास का किराया, जमा और अन्य प्रभार (रु.)	कुल फ़ीस (रु.)	ट्यूशन फ़ीस (रु.)	छात्रवास का किराया, जमा और अन्य प्रभार (रु.)	कुल फ़ीस (रु.)
1	सिनेमा में ललित कला स्नातकोत्तर (निर्देशन और पटकथा लेखन में विशेषज्ञता)	**46885**	**62689**	**109574**	**46884**	**19408**	**66292**
2	सिनेमा में ललित कला स्नातकोत्तर (चलचित्रांकन में विशेषज्ञता)	**46885**	**62689**	**109574**	**46884**	**19408**	**66292**
3	सिनेमा में ललित कला स्नातकोत्तर (संपादन में विशेषज्ञता)	**46885**	**62689**	**109574**	**46884**	**19408**	**66292**
4	सिनेमा में ललित कला स्नातकोत्तर (ध्वनिमुद्रण तथा ध्वनि संरचना में विशेषज्ञता)	**46885**	**62689**	**109574**	**46884**	**19408**	**66292**
5	सिनेमा में ललित कला स्नातकोत्तर (कला निर्देशन और निर्माण संरचना में विशेषज्ञता)	**46885**	**62689**	**109574**	**46884**	**19408**	**66292**
6	सिनेमा में ललित कला स्नातकोत्तर (स्क्रीन अभिनय में विशेषज्ञता)	**46885**	**62689**	**109574**	**46884**	**19408**	**66292**
7	सिनेमा में ललित कला स्नातकोत्तर (पटकथा लेखन फ़िल्म, टीवी और वेब सीरीज़)	**46885**	**62689**	**109574**	**46884**	**19408**	**66292**

फ़िल्म स्कंध के सिनेमा में ललित कला स्नातकोत्तर के विभिन्न विशेषज्ञताओं के लिए जमा राशि और अन्य फ़ीस का स्वरूप

फ़िल्म स्कंध पाठ्यक्रम के लिए प्रतिभूति और अन्य प्रभार का क्रमानुसार विवरण

क्र. सं.	विवरण	सत्र 1 फ़ीस (रु.)		शेष सत्र फ़ीस (रु.)	
1.	प्रवेश फ़ीस	**252**	प्रत्येक सत्र	**252**	प्रत्येक सत्र
2.	खेलकूद फ़ीस	**254**	प्रत्येक सत्र	**254**	प्रत्येक सत्र
3.	चिकित्सा फ़ीस	**319**	प्रत्येक सत्र	**319**	प्रत्येक सत्र
4.	लायब्रेरी फ़ीस	**297**	प्रत्येक सत्र	**297**	प्रत्येक सत्र
5.	इंटरनेट प्रभार	**252**	प्रत्येक सत्र	**252**	प्रत्येक सत्र
6.	पुस्तकालय जमा	**15241**	एक बार	**15241**	लागू नहीं
7.	प्रतिभूति जमा	**1906**	एक बार	**1906**	लागू नहीं
8.	छात्रवास प्रवेश	**252**	प्रत्येक सत्र	**252**	प्रत्येक सत्र
9.	छात्रवास अध्ययन कक्ष	**635**	प्रत्येक सत्र	**635**	प्रत्येक सत्र
10.	छात्र हस्तपुस्तिका	**129**	एक बार	**00**	लागू नहीं
11.	छात्रवास किराया	**25393**	प्रत्येक सत्र	**00**	प्रत्येक सत्र
12.	बिजली तथा पानी प्रभार	**6348**	प्रत्येक सत्र	**00**	प्रत्येक सत्र
13.	छात्रवास प्रतिभूति	**5084**	एक बार	**00**	लागू नहीं
14.	भोजनालय प्रतिभूति	**6327**	एक बार	**00**	लागू नहीं
	कुल मिलाकर	**62689**		**19408**	

प्रवेश वर्ष 2025-2026 के लिए फ़ीस का स्वरूप

टीवी स्कंध के विभिन्न विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

ट्यूशन फ़ीस, छात्रवास किराया तथा अन्य प्रभार

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ट्यूशन फ़ीस (रु.)	छात्रवास का किराया, जमा और अन्य प्रभार (रु.)	कुल फ़ीस (रु.)
1	निर्देशन में विशेषज्ञता के साथ टेलीविज़न में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र	**99395**	**66452**	**165847**
2	इलेक्ट्रॉनिक्स चलचित्रांकन में विशेषज्ञता के साथ टेलीविज़न में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र	**99395**	**66452**	**165847**
3	विडियो सम्पादन में विशेषज्ञता के साथ टेलीविज़न में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र	**99395**	**66452**	**165847**
4	ध्वनिमुद्रण तथा टी.वी. अभियांत्रिकी में विशेषज्ञता के साथ टेलीविज़न में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र	**99395**	**66452**	**165847**

टेलीविज़न स्कंध विभिन्न विशेषज्ञताओं के लिए प्रतिभूति और अन्य प्रभार का क्रमानुसार विवरण

क्र. सं.	**विवरण**	**प्रत्येक सत्र फ़ीस (रु.)**
1.	प्रवेश फ़ीस	**451**
2.	खेलकूद फ़ीस	**451**
3.	चिकित्सा फ़ीस	**531**
4.	लायब्रेरी फ़ीस	**408**
5.	इंटरनेट प्रभार	**389**
6.	पुस्तकालय जमा	**23437**
7.	प्रतिभूति जमा	**2968**
8.	छात्रवास प्रवेश	**493**
9.	छात्रवास अध्ययन कक्ष	**1272**
10.	छात्र हस्तपुस्तिका	**133**
11.	छात्रवास किराया	**20670**
12.	बिजली तथा पानी प्रभार	**4956**
13.	छात्रवास प्रतिभूति	**4028**
14.	भोजनालय प्रतिभूति	**6265**
	कुल मिलाकर	**66452**

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों को फ़्रीशिप

भाफिटेसं नीति के अनुसार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित सभी पात्र छात्रों के लिए केवल ट्यूशन फीस और छात्रावास के किराये संबंधित में कुल राशि का 30% फ़्रीशिप उपलब्ध है। अपने प्रवेश की पुष्टि प्राप्त करने के बाद, छात्रों को सभी संबंधित और सहायक दस्तावेज के साथ आवेदन करना होगा।

फ़्रीशिप का पुरस्कार स्वचालित रूप से नवीनीकृत नहीं है और पाठ्यक्रम के प्रत्येक निरंतर सेमेस्टर / वर्ष के लिए सभी विवरणों और संबंधित दस्तावेज़ो के साथ एक नया आवेदन करना होगा।

बाद के सेमेस्टर / वर्ष में फ़्रीशिप का पुरस्कार संस्थान द्वारा समय समय पर निर्धारित छात्रवृत्ति के लिए लागू-मानदंडों, उपस्थिति, अनुशासन आदि के अतिरिक्त संतोषजनक शैक्षिक प्रगति की पूर्ति के अधीन है।

आरक्षण नीति :

भारत सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्थान आरक्षित हैं।

- अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक विशेषज्ञता में 15% सीटें आरक्षित है।
- अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक विशेषज्ञता में 7.5% सीटें आरक्षित है।
- अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी- एन.सी.एल) के नॉन क्रीमीलेयर से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक विशेषज्ञता में 27 % सीटें आरक्षित है। इस श्रेणी केअंतर्गत प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को केंद्रीय सूची में ओबीसी के लिए लागू ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र और केंद्र सरकार के प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत करना चाहिए।
- आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) केअभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक विशेषज्ञता में 10% सीटें आरक्षित है। जैसा कि केंद्र सरकार के प्रारूप में है।
- रोस्टर के आधार पर कुल सीटों का 5% सीटें उन व्यक्तियों के लिए जिनकी दिव्यांगता (पीडब्ल्यूडी) 40% सहित या उससे अधिक है, के समानांतर आधार पर आरक्षित हैं।
- इन श्रेणियों के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों को आवेदन में स्वयं अपनी श्रेणी घोषित करनी चाहिए। परीक्षा प्रक्रिया के किसी भी चरण में इस घोषणा के लिए कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा।

आरक्षण नियम

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए : आवेदक को यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत सक्षम प्राधिकारी के अलावा, किसी भी अन्य व्यक्ति/प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा । यदि आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित है, तो उसकी जाति/जनजाति भारत सरकार की अनुसूची में संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध होनी चाहिए ।जाति प्रमाणपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख होनी चाहिए: (क) अभ्यर्थी की जाति/जनजाति का नाम, (ख) क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से है, (ग) आवेदक के सामान्य निवास स्थान का ज़िला और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, और (घ) भारत सरकार की वह उचित अनुसूची जिसके तहत अभ्यर्थी की जाति/जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का प्रारूप केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार होना चाहिए। यह प्रारूप अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए प्रवेश वेब पोर्टल पर भी उपलब्ध है।

- **ओबीसी एनसीएल श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए :**

अभ्यर्थी की जाति ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल होनी चाहिए (ओबीसी का दर्जा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों पर जारी की गई ओबीसी की केंद्रीय सूची के आधार पर तय किया जाएगा; यह सूची इस वेबसाइट पर उपलब्ध है: http://ncbc.nic.in)। nic.in / backward classes/index.html

प्रमाणपत्र में आवेदक का ' नॉन-क्रीमी लेयर ' (Non-Creamy Layer) का उल्लेख होना चाहिए (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी) दिनांक 15.11.1993 में उल्लेखित प्राधिकारी द्वारा जारी गैर-क्रीमी लेयर स्थिति) का उल्लेख चाहिए।

ओबीसी आवेदक जो ' नॉन-क्रीमी लेयर' से संबंधित हैं और जिनकी जाति केवल ओबीसी की केंद्रीय सूची में ही शामिल है, वे ओबीसी – एनसीएल श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे। इसके लिए शर्त यह है कि अभ्यर्थी एक प्रमाणपत्र अपलोड करे— जो अंग्रेज़ी या हिंदी में हो, किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, और प्रवेश वेब-पोर्टल पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में हो (जैसा कि ऊपर बताया गया है) । यह प्रमाणपत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 / 2026-27 में जारी किया गया होना चाहिए और/या आवेदन करते समय इसकी वैधता होनी चाहिए।

सामान्य- आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए:

आय और संपत्ति के मानदंड: वे व्यक्ति जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय रूपये 8.00 (केवल रूपये आठ लाख) से कम है ,उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग** (ईडब्ल्यूएस) के रूप में पहचाना जाना है। इस उद्देश्य के लिए परिवार में वे व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, साथ ही उसका जीवनसाथी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल होंगे। आय में सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से होने वाली आय शामिल होगी और यह आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष की आय होगी, साथ ही ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है या है, उन्हें परिवार की आय की परवाह किए बिना ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाने जाने से बाहर रखा जाएगा :

- एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि 5;
- वर्ग फीट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट 1000;
- अधिसूचित नगर पालिकाओं में वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड 100;
- अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में वर्ग गज और 210 उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी: आय और संपत्ति के मानदंड में उल्लिखित परिवारों की आय और संपत्ति को इस विवरणिका) प्रॉस्पेक्टस(में उल्लिखित निर्धारित प्रारूप में राज्योंसंघ / शासित प्रदेशों मेंतहसीलदार के पद से नीचे की श्रेणी का ना होऐसे , अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा, जो आवेदन के समय मान्य होगा।

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को इस विवरणिका (प्रॉस्पेक्टस) में उल्लिखित निर्धारित प्रारूप में राज्यों संघ शासित प्रदेशों में तहसीलदार के पद/से नीचे की श्रेणी का ना हो, ऐसे अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, प्रवेश वेब-पोर्टल पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में हो। यह प्रमाणपत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 / 2026-27 में जारी किया गया होना चाहिए और/या आवेदन करते समय इसकी वैधता होनी चाहिए।

ओबीसी/एनसीएल-सामान्य - आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)श्रेणी से संबंधित लेकिन आवेदन के समय वैध प्रमाण पत्र न रखने वाले अभ्यर्थी के लिए:

आवेदन पत्र जमा करते समय, यदि किसी अभ्यर्थी के पास इस विवरणिका (प्रॉस्पेक्टस) के अनुसार कोई वैध ओबीसी / एनसीएल सामान्य -आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन उसने इसे प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है, तो वह ओबीसी /एनसीएल-सामान्य -आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)श्रेणी के अंतर्गत भी आवेदन कर सकता है, जैसा भी मामला हो। **हालांकि, ऐसे अभ्यर्थी को ओबीसी/एनसीएल- सामान्य -आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) प्रमाण पत्र आवेदन की नवीनतम पावती पर्ची (जिसकी तारीख आवेदन जमा करने की तारीख से बाद की न हो) अपलोड करनी होगी। ऐसे सभी उम्मीदवारों को 07 मई 2026 को शाम 04 बजे या उससे पहले एक वैध प्रमाणपत्र जमा करना आवश्यक है।**

ऊपर बताए अनुसार आवश्यक दस्तावेज जमा न करने पर, नियमों के अनुसार अन्य शर्तों के अधीन अभ्यर्थी ओबीसी / एनसीएल -सामान्य -आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)श्रेणी का दावा खो देगा, जैसा भी मामला हो और ऐसे अभ्यर्थी को सामान्य (यूआर) के रूप में माना जाएगा, किसी भी कारण से तिथि और समय में कोई आगे नहीं बढ़ाया दिया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

नोट: एससीपीडब्ल्यूडी श्रेणियों के प्रमाण पत्रों /ईडब्ल्यूएस-सामान्य/एनसीएल-ओबीसी/एसटी/ अलग लिंक में उपलब्ध हैं।-के नमूना प्रारूप प्रवेश पोर्टल पर अलग

अन्य नियम

- यदि उक्त प्रमाण पत्र किसी क्षेत्रीय भाषा में हैं, तो आवेदन के साथ हिंदी/अंग्रेजी में उनके आधिकारिक अनुवादित प्रमाण पत्र (जो किसी पब्लिक नोटरी द्वारा नोटरीकृत हों) अपलोड किए जाने चाहिए।
- मूल प्रमाण पत्र (जो हिंदी/अंग्रेजी में न हो) और उसका नोटरीकृत अनुवाद (हिंदी/अंग्रेजी में) - इन दोनों को मिलाकर एक ही पीडीएफ दस्तावेज़ में बदला जाना चाहिए और फिर अपलोड किया जाना चाहिए।
- जो अभ्यर्थी उपर्युक्त शर्तों को पूरा नहीं कर पाएंगे, उन्हें प्रवेश प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण अर्थात लिखित परीक्षा से ही सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना जाएगा; अथवा प्रवेश प्रक्रिया के किसी भी चरण में उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।
- आवेदन पत्र के साथ जमा किए गए दस्तावेज़ों को अंतिम माना जाएगा।
- सभी प्रमाण पत्र इस प्रॉस्पेक्टस में निर्धारित मानदंडों के अनुसार वैध होने चाहिए।
- एससी ईडब्ल्यूएस श्रेणी का कोई भी-सामान्य/एनसीएल-ओबीसी/एसटी/अभ्यर्थी, जिसने आरक्षण का लाभ लेकर परीक्षा के किसी भी चरण को उत्तीर्ण किया है, वह अनारक्षित सीट के विरुद्ध चयन के लिए पात्र नहीं होगा।
- **दस्तावेज़ों में कमी:** यदि किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेज़ वांछित मानदंडों के अनुसार गलत/अमान्य पाए जाते हैं, या उनमें कोई कमी होती है, अथवा वे अपेक्षित प्रारूप के अनुरूप नहीं होते हैं, तो भाफिटेसं को यह अधिकार है कि वह प्रवेश प्रक्रिया के किसी भी चरण पर—यहाँ तक कि कक्षाएँ शुरू होने के बाद भी—उस अभ्यर्थी की श्रेणी की स्थिति में परिवर्तन कर दे और/अथवा उसकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दे।
- सभी अभ्यर्थियों को **भाफिटेसं – प्रवेश परीक्षा 2025-2026** पोर्टल पर आवेदन करते समय यह घोषणा करनी होगी कि उनके आवेदन पत्र में दी गई जानकारी उनके ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। आगे, यह प्रवेश अस्थाई है और संबंधित सक्षम प्राधिकारियों से शैक्षिक अर्हताओं की स्थिति के साथ उसकी जाति/श्रेणी और अथवा दिव्यांगता के (जैसा भी मामला होगा) सत्यापन का विषय है। यदि पाठ्यक्रम के दौरान किसी भी चरण पर ऐसा पाया गया कि उनके द्वारा दी हुई जानकारी गलत है और अथवा झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं तो संबंधित पाठ्यक्रम की पढ़ाई के दौरान उनके प्रवेश को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और वे उक्त पाठ्यक्रम के लिए कोई दावा भी नहीं कर सकते / सकती। साथ ही उनके द्वारा भरी गई फ़ीस भी जप्त कर ली जाएगी। इतना ही नहीं झूठे प्रमाण पत्रों का निर्माण / प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता / कानून के प्रावधानों के अनुसार कानूनी और / अथवा दंडात्मक कार्रवाई के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे / होंगी। यदि पदविका/प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो तो उसे भी तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।इसके अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी को भविष्य में होने वाली विश्वविद्यालय की कोई भी प्रवेश परीक्षा देने से रोक दिया जाएगा।

दिव्यांगजन (विकलांग व्यक्ति) श्रेणी के अभ्यर्थी:

दिव्यागंजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आर.पी.डब्ल्यू.डी. एक्ट 2016) के प्रावधान के अनुसार, बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कुल सीटों में से पाँच प्रतिशत सीटें समानांतर आधार पर आरक्षित हैं। " बैंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी " का अर्थ है एक विशिष्ट दिव्यांगता चालीस प्रतिशत (40 %) से कम नहीं होना चाहिए। जहाँ विशिष्ट दिव्यांग होने का स्पष्ट शर्तों में पारिभाषित नहीं किया गया है और इसमें दिव्यांग व्यक्ति के रूप में विशिष्ट दिव्यांगता को पारिभाषित किया गया हो। वहाँ प्रमाणित प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट रूप से विशिष्ट दिव्यांग का उल्लेख किया गया हो।

"विशेष दिव्यांग" का अर्थ है, जो दिव्यागंजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आर.पी.डब्ल्यु.डी. एक्ट 2016) के अनुसूची में उल्लेखित है।

दिव्यांगता की श्रेणी –

क) अंधापन और कम दृष्टि।

ख) बधिरता तथा कम सुनने की क्षमता।

ग) चलनफिरन संबंधी दिव्यांगता-, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से मुक्त, बौनापन, एसिड हमले के पीड़ित तथा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी शामिल हैं।

घ) ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता तथा मानसिक रोग।

च) श्रवण क्षति - दृष्टिहीनता सहित (क) से (ख) कारणों के अन्तर्गत व्यक्तियों में से बहुल दिव्यांगता।

छ) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में उल्लिखित अन्य " विशेष दिव्यांगता" बैंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी संबंधित के अंतर्गत आरक्षण के लिए योग्य होंगे, जब वे इस संदर्भ में अन्य निर्धारित अर्हताएँ को पूरा करते हैं।

भाफ़िटेसं दृक - श्रव्य माध्यम द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है, योग्यता हेतु दिव्यांग अभ्यर्थी से संबंधित नियम निम्नानुसार हैं।

(I) बैंचमार्क चलन संबंधी दिव्यांग अभ्यर्थी एड और अप्लायंसेस (सहायक किट) के साथ खड़े रहने और दोनों हाथों से काम करने में सक्षम हो।

(II) **"श्रवण क्षति और सुनने में कठिनाई", "श्रवण क्षति - दृष्टिहीनता", "दृष्टिहीनता" और "कम दृष्टि"** के श्रेणी में बैंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी सभी प्रकार के प्रचालन हेतु एड और अप्लायंसेस (सहायक किट) का प्रयोग करें।

(III) इस श्रेणी के अन्तर्गत आवेदक के पास दिव्यागंजन अधिकार अधिनियम , 2016 (आर.पी.डब्ल्यू.डी. एक्ट 2016) (2016 का 49) के खंड 58 के उप-खण्ड (2) (क) ,अधिसूचना समसंख्यक सां.का.नि. 591 (अ) दिनांक 15 जून , 2017 के 18 (1) के अनुसार प्ररूप - V, प्ररूप - VI, प्ररूप - VII में जारी किया गया दिव्यांगता का प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। सां.का.नि. 591 (अ) खंड 57 का उपखंड (i) तथा नियम 17 (क) के अन्तर्गत तैयार किया गया प्रमाणपत्र चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। ऐसे अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि संस्थान में प्रवेश के समय तथा अभिविन्यास / साक्षात्कार के समय दोनों में दिव्यांगता प्रमाणपत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करें।

(IV) दिव्यांग अभ्यर्थी का आकलन करने के लिए बोर्ड

- कुलधिपति,भाफ़िटेसं के द्वारा गठित बोर्ड के माध्यम से भाफ़िटेसं विशेष कार्यक्रम / पाठ्यक्रम के अभिविन्यास / साक्षात्कार के लिये चुने गये अभ्यर्थी के शरीरिक / मानसिक क्षमता का , उस विशिष्ट कार्यक्रम / पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार मूल्यांकन किया जायेगा।
- एक चिकित्सा अधिकारी / मनोचिकित्स, एक विभागाध्यक्ष / विभाग से संबंधित संकाय सदस्य, अकादमिक कार्यालय के अधिकारी, स्कंध से संबंधित संकायाध्यक्ष और परीक्षा नियत्रंक द्वारा गठित पाँच सदस्यों का बोर्ड होगा।
- भाफ़िटेसं, अभ्यर्थी की शरीरिक / मानसिक क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए अपने उपकरण / जाँच सामग्री का उपयोग कर सकता है और बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को स्वतंत्र रूप से जाँच की जा सकती है।
- सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए मूल्यांकन अनिवार्य है। बोर्ड अपनी प्रक्रिया में सिफ़ारिश करेगा कि वे अभ्यर्थी आवेदन किये गये पाठ्यक्रम में पढ़ने हेतु सक्षम है / असक्षम है। ऐसे निर्णय की एक प्रति उस अभ्यर्थी को भी लिखित रूप में दी जायेगी। बोर्ड की सिफ़ारिश अंतिम होगी और उसके पश्चात् (आगे) कोई प्रतिवेदन / पुनरीक्षण स्वीकार नहीं किया जायेगा। भाफ़िटेसं , बोर्ड की सिफ़ारिश के आधार पर किसी विशेष कार्यक्रम / पाठ्यक्रम हेतु अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को अयोग्य करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(V) बैंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी को अपने लिए स्वयं लेखक/ लिपिक का प्रबंध करने का एक वैकल्पिक होगा। लेखकलेखक के पास पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं होनी / चाहिए औरउसके पास फिल्म, टेलीविजन, एनीमेशन या मीडिया में कोई शैक्षणिक योग्यता और /या व्यवसायिक अनुभव नहीं होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी को एक स्वघोषणा प्रस्तुत करने की - आवश्यकता है।जिसमें यह सुनिश्चित किया गया हो किवे जिन लेखक की सेवाओं का लाभ उठे रहें

है ,वे अंडरग्रेजुएशन,शैक्षणिक योग्यता और व्यवसायिक अनुभव के उपर्युक्त उल्लेख की गयी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

(VI) बैंचमार्क दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) अभ्यर्थी लेखक/ लिपिक की सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो , उन्हें प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनटों का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा।

(VII) निम्नलिखित दिव्यांगता से पीड़त अभ्यर्थी नीचे दी गयी तालिका के अनुसार संबंधित विशेषज्ञता के लिए आवेदन करने हेतु पात्र नहीं हैं।

नोट :दिव्यांग अभ्यर्थी भाफिटेसं पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, दिव्यांग आरक्षण केवल आरक्षित सीटों और उन सीटों के विरुद्ध उल्लिखित श्रेणियों के लिए ही लागू होगा।

(VIII) बैंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए स्वतंत्र रूप से प्रश्न पत्र नहीं होगें।

(IX) **सामान्य आवश्यकताएँ :** मुख्य धारा के पाठ्यक्रम में प्रयोग करने के लिये अभ्यर्थियों के पास पर्याप्त सज्ञानात्मक कार्यकलाप और कोई बौद्धिक नुकसान नहीं होना चाहिए। अन्य आवश्कताएँ हैं -शैक्षिक और अथवा संप्रेषण कौशल में अनुकूल कार्यों में हल्की कमी, किन्तु पढ़ाई का वातावरण और सहायक उपकरणों का स्वंत्रत रूप से प्रयोग कर पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता हो। बड़े समूह के साथ पढ़ने के लिये अनुकूल अच्छा अदान-प्रदान कौशल और भावनात्माक स्थिरता हो तथा ऐसा चुनौतीपूर्ण व्यवहार न हो, जिससे अन्य छात्रों की पढ़ाई में बाधा आये।

क्र.सं.	विशेषज्ञता का नाम	दिव्यांगता का प्रकार
1.	**चलचित्रांकन**	(क) अंधापन और कम दृष्टि, (च) बहु-विकलांगता
2.	**इलेक्ट्रॉनिक चलचित्रांकन**	(क) अंधापन और कम दृष्टि, (च) बहु-विकलांगता
3.	**ध्वनिमुद्रण और ध्वनि संरचना**	(क)अंधापन और कम दृष्टि, (च) बहु-विकलांगता
4.	**ध्वनिमुद्रण और टीवी अभियांत्रिकी**	(b) बहरापन और सुनने में कठिनाई, (e) बहु-विकलांगता
5.	**संपादन**	(a) अंधापन और कम दृष्टि, (b) बहरापन और सुनने में कठिनाई, (e) बहु-विकलांगता
6.	**वीडियो संपादन**	(a) अंधापन और कम दृष्टि, (b) बहरापन और सुनने में कठिनाई, (e) बहु-विकलांगता
7.	**कला निर्देशन और निर्माण संरचना**	(क) अंधापन और कम दृष्टि, (च) बहु-विकलांगता

घ .सूचना, नियम और अनुदेश

चिकित्सा जाँच

जिन योग्य अभ्यर्थियों को अभिवन्यास और साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, उन्हें चयन के मापदंडो में उल्लेख की गयी चिकित्सा जाँच करवाना आवश्यक है। चिकित्सा जाँच की नई प्रक्रिया के बारे में योग्य अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर सूचित किया जाएगा-।

चिकित्सा जाँच के परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों की संक्षिप्त सूची में से उनके नाम रद्द किये जा सकते हैं। इस संबंध में भाफ़िटेसं का निर्णय अंतिम होगा और सभी संबंधितों पर बाध्यकारक होगा।

स्नातक पदवी की अंतिम परीक्षा देने वाले:

स्नातक की अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले और परिणामों की प्रतीक्षा करने वाले अभ्यर्थी भी **भाफिटेसं प्रवेश परीक्षा 2025-2026** के लिए आवेदन कर सकते हैं। तथापि, यह ध्यान में रखा जाये कि ऐसे अभ्यर्थी को अभ्यर्थियों को, यदि चयनित किया जाता है, तो चरण 2-में शामिल होने की अनुमति तभी मिलेगी, जब वे 31 जुलाई 2026 को शाम 04 बजे तक या उससे पहले, अपने संस्थान/विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया उत्तीर्ण प्रमाण पत्र /मार्कशीट/प्रोविजनल प्रमाणपत्र (जिसमें उनका रोल नंबर/रजिस्टर नंबर लिखा हो) **भाफिटेसं प्रवेश परीक्षा 2025-2026** प्रवेश पोर्टल (http://applyadmission.co.in/भाफिटेसं2025-26) पर ऑनलाइन पोर्टल पर सम्मिलित करें।

आचार संहिता :

छात्रों द्वारा अनुपालन किये जाने वाले आचरण की संहिता तथा अन्य नियमों एवं विनियमों की रुपरेखा की छात्रपुस्तिका प्रत्येक छात्र को प्रवेश के समय दी जायेगी। छात्रों के लिए आवश्यक है कि वे अनुशासन का पालन करें, ऐसा न होने पर अनुशासनिक कार्रवाई का अधिकार भाफ़िटेसं सुरक्षित रखता है। इस संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम होगा और सभी संबंधितों पर बाध्यकारक होगा।

सूचना, नियम और अनुदेश

सामान्य नियम/ अनुदेश :

1. अभ्यर्थी विवरणिका और **भाफिटेसं प्रवेश परीक्षा 2025-2026** की वेबसाइट की विषयवस्तु में छपी हुई योग्यता की शर्तों को अवश्य ध्यानपूर्वक पढ़ें और आवेदन भरने से पहले पाठ्यक्रम के लिए अपनी योग्यता के सम्बन्ध में वे स्वयं संतुष्ट हो। आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने के पश्चात ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने उसे पूर्ण रूप से समझा है और स्वीकार किया है।

2. स्नातक पदवी, जो भारतीय विश्वविद्यालय / विदेशी विश्वविद्यालय / राज्य विश्वविद्यालय / प्राइवेट विश्वविद्यालय अथवा उसके समकक्ष के माध्यम से प्राप्त की है, वह उसकी भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी) भारतीय विश्वविद्यालयों संघ के द्वारा मान्यता होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय (उक्त विश्वविद्यालय / संस्थान में अध्ययन के पाठ्यक्रम तथा अवधि के लिए अवश्य रुप से वैध होना चाहिए) उपर्युक्त मान्यता को अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न होने पर उनकी शैक्षिक अर्हता पर विचार नहीं किया जायेगा, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी । इसके अतिरिक्त, स्नातक पदवी के उसके समकक्ष पदविका पाठ्यक्रम का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय को भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी) अथवा सरकारी सक्षम प्राधिकारी से उसकी समकक्षता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। मान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करने का अधिकार संबंधित अभ्यर्थी का होगा।

3. मुक्त विश्वविद्यालयों / दूरस्थ शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त पदवी को दूरस्थ शिक्षा परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा मान्य होनी चाहिए।ऐसी डिग्री जो, उस अवधि के लिए मान्य होगी, जब अभ्यर्थी ने उसके समकक्ष अर्हता प्राप्त की थी। उन्हें शैक्षिक अर्हता के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र को प्राप्त करने का दायित्व संबंधित अभ्यर्थी पर है और उसे वह कागजात के सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर अभ्यर्थी को आगे की प्रवेश प्रक्रिया में सहभागी होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आवेदन पत्र जब प्रस्तुत करें तो वह संपूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। सभी अपूर्ण फार्मों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

4. ऑनलाइन आवेदन करते समय पास पोर्ट आकार की रंगीन फोटोग्राफ अवश्य अपलोड करें। अतः दिए गए निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी अपने / अपनी हस्ताक्षर अवश्य अपलोड करें। जिसके बिना आवेदन पत्र को अपूर्ण माना जाएगा और आवेदन पत्र को सामान्यतः तौर पर अस्वीकार किया जायेगा।

5. यदि कोई संबंधित प्रमाणपत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में नहीं है तो उसका हिन्दी / अंग्रेजी में अनूदित समतुल्य पब्लिक नोटरी द्वारा नोटराइज्ड प्रमाणपत्र सत्यापन के समय अवश्य प्रस्तुत किया जाए। मूल प्रमाणपत्र (गैर हिंदी/अंग्रेजी) और नोटरीकृत अनुवाद (हिंदी/अंग्रेजी) को एकल पीडीएफ दस्तावेज़ में परिवर्तित करके अपलोड किया जाना चाहिए।इसके बिना अभ्यर्थी ऐसे प्रमाणपत्र के विरूद्ध दावे के लाभ नहीं ले सकेंगे।

6. अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे शैक्षिक अर्हताओं, आरक्षणों आदि आवश्यकताओं को ध्यान से पढ़ें और और वे स्वयं संतुष्ट हो जाये। प्रवेश के बाद भी किसी भी स्तर पर कागजातों के सत्यापन / छानबीन के समय यदि कोई दावा पर्याप्त नहीं पाया गया तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में भफ़िटेसं का निर्णय अंतिम होगा तथा संबंधितों पर बाध्यकर होगा।

7. आवेदक द्वारा भरे जाने वाले जन्म तिथि एसएससी मैट्रिक/10/वीं कक्षा या उसके समकक्ष प्रमाणपत्र मार्क सीट में उल्लेख किये गये दिनांक से मेल होना चाहिए और आयु निर्धारित /

8 भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान में शिक्षण का माध्यम मुख्य रूप से अंग्रेंजी हैं।

9. प्रवेश के बाद सहित अभ्यर्थी इस बात को नोट करें कि अभ्यर्थी पूरी तरह से अस्थयी है।

10. चरण-2 के लिए चयनित अभ्यर्थियों और अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर भाफिटेसं वेबसाइट/प्रवेश पोर्टल पर प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत ईमेल पर सूचित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भाफिटेसं वेबसाइट/प्रवेश पोर्टल को देखते रहें। अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की सूचना न मिलने पर भाफिटेसं जिम्मेदार नहीं होगा।

11. दस्तावेज़ सत्यापन: भाफिटेसं प्रवेश परीक्षा 2025-2026 (लिखित परीक्षा) के समय किसी भी दस्तावेज़ का सत्यापन नहीं किया जाएगा । किसी भी स्तर पर,यदि दावा किया गया शैक्षिक/जाति/जाति/दिव्यांग शैक्षिक/जाति/दिव्यांग/ओबीसी-एनसीएल/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आदि प्रमाण पत्र आवश्यकता के अनुसार नहीं पाया जाता है, तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी या आरक्षण की स्थिति को लागू होने पर भी सामान्य माना जाएगा। प्रवेश से संबंधित मामलों के लिए केवल भाफिटेसं प्रवेश परीक्षा 2025- 2026 के लिए आवेदन करते समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों पर विचार किया जाएगा।

12. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने किसी अन्य विश्वविद्यालय से संलग्न किसी संस्थान में प्रवेश लिया है और अथवा किसी संगठन में काम कर रहे हैं तो प्रवेश के समय उस यूनिवर्सिटी/ संगठन से एक निकासी / त्याग / प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। स्वरोजगार अभ्यर्थी से एक घोषणा पत्र अपेक्षित है कि वह पाठ्यक्रम के दौरान अपना व्यवसाय बंद कर रहे हैं। शैक्षिक अवधि में किसी भी छात्र को किसी भी शैक्षिक/व्यवसायिक संस्थान अथवा संगठन में शैक्षिक अथवा व्यवसायिक रूप से जुड़ने की अनुमति नहीं है।

13. चूँकि छात्रों को भारी और बिजली के उपकरणों के साथ काम करना होगा ,उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं पर है।

14. जो छात्र संस्थान में प्रवेश पाएँगे उनके लिए मेडिक्लेम पॉलिसी अनिवार्य है और ये भुगतान छात्र द्वारा वहन किया जायेगा। यदि किसी छात्र ने पहले से मेडिक्लेम पॉलिसी ली है, जो शैक्षणिक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा तो उसे उल्लिखित पॉलोसी के ,ब्यौरें को प्रस्तुत करने पर छूट दी जायेगी। किया जाएगा।

15. अभ्यर्थियों को परीक्षा अथवा प्रवेश के लिए किसी भी चरण पर यात्रा भत्ता अथवा कोई अन्य भत्तों का भुगतान नहीं

16. चरण-1 और चरण-2 की परीक्षाओं की तिथि में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा

17. किसी भी प्रकार से किए गए प्रचार के कारण अभ्यर्थी को परीक्षा प्रक्रिया में सहभागी होने के लिए अयोग्य माना जाएगा और 5 साल के लिए उन्हें रोक दिया जाएगा।

18. अभ्यर्थी का प्रवेश अस्थायी होगा।

19. परीक्षा (परीक्षाओं), अर्हता के मानदंड, संबंधित मामलों आदि में भाफ़िटेसं का निर्णय अंतिम होगा और

सभी संबंधितों पर बाध्यकारी होगा। साथ ही योग्यता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना असत्य जानकारी देने के लिए दंड, चयन की पद्धति, परीक्षा (परीक्षाओं) का संचालन, परीक्षा केंद्रों का आवंटन आदि से संबंधित भाफ़िटेसं का निर्णय अंतिम होगा और सभी अभ्यर्थियों / संबंधितों पर बाध्यकारी होगा तथा इस संदर्भ में किसी भी पत्र-व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा।

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और महाराष्ट्र एंटी-रैगिंग अधिनियम, 1999 के अनुसार, रैगिंग का कोई भी रूप—चाहे वह भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के परिसर के भीतर हो या बाहर—सख्ती से प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, संस्थान के भीतर या बाहर रैगिंग में शामिल होता है, उसमें भाग लेता है, उसे बढ़ावा देता है, या उसमें सहायता करता है, उसके विरुद्ध उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। संस्थान में प्रवेश के समय, अभ्यर्थी और उसके माता-पिता/अभिभावकों, दोनों को एक शपथ-पत्र (affidavit) के रूप में एक वचन-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि अभ्यर्थी रैगिंग के किसी भी रूप में भाग नहीं लेगा।
21. भाफिटेसं परीक्षा / प्रवेश से संबंधित सभी कानूनी विवाद विशेष रूप से पुणे की अदालतों / मुंबई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आएंगे।
22. एक से अधिक श्रेणियों में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पर उन सभी श्रेणियों में विचार किया जाएगा जिनसे वे संबंधित हैं।
23. जो अभ्यर्थी स्नातक डिग्री के समकक्ष योग्यता का दावा करते हैं, उन्हें राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी आवश्यक 'समकक्षता प्रमाण पत्र' (Equivalence Certificate) जमा करना होगा; ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। उपर्युक्त समकक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
24. पाठ्यक्रम हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन) में संचालित किए जा सकते हैं।

25. वर्ष 2025-2026 के प्रवेश सत्र के लिए, कक्षाओं के नवंबर 2026 के बाद शुरू होने की उम्मीद है।

टिप्पणी :

1. प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित कोई भी अनुवर्ती शुद्धिपत्र / परिवर्तन / सुधार सहित सभी महत्वपूर्ण जानकारी केवल वेबसाइट पर ही उपलब्ध करावायी जाएगी।

2. अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के दौरान मान्य और विशिष्ट ईमेल खाते और एक मोबाइल फ़ोन नंबर अवश्य घोषित करना होगा और उसे बनाए रखना होगा और साथ ही साथ अद्यतन जानकारी के लिए भाफ़िटेसं वेबसाइट को निरंतर देखते रहना होगा और अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार सूचना न प्राप्त होने के लिए भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी-एनसीएल/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांग श्रेणियों के लिए प्रमाण पत्र का नमूना प्रारूप प्रवेश पोर्टल पर अलग-अलग लिंक में उपलब्ध कराया गया है।

अनुचित व्यवहार :

प्रवेश परीक्षा के दौरान निम्नलिखित में से किसी गतिविधियों में शामिल अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार करते हुए दोषी पाये गये, तो उनके विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी।

1. उस दिन की परीक्षा से संबंधित अथवा जो परीक्षा अभ्यर्थी ने पहले ही दी है उससे संबंधित/ असंबंधित प्रिंटेड/ फोटोकॉपी/ लिखित सामग्री जो पुस्तक/ खुले पृष्ठों के रूप में हो, जिनका परीक्षा में प्रयोग किया गया है अथवा ना किया गया हो, को अपने पास रखना।
2. मोबाइल फोन सहित किसी इलेक्टॉनिक गजट को पास रखना।
3. उस दिन की परीक्षा से संबंधित/ असंबंधित ना होने वाले कोई भी फार्मूला, परिभाषाएं, स्केच, अभ्यर्थी के शरीर के किसी भी हिस्से, कपड़ों पर , उपकरण बॉक्स, दीवार, टेबल, ड्राइंग बोर्ड, प्रश्नपत्रिका, प्रवेश कार्ड/ हॉल टिकट आदि कहीं पर लिखना और परीक्षा में उसका प्रयोग करना अथवा ना करना।
4. वैध प्रवेश पत्र हॉल टिकट के बिना लिखित परीक्षा लिखना/।
5. उत्तर पुस्तिका में कहीं पर भी सीट-क्रमांक लिखना।
6. अभ्यर्थी के लिए परीक्षा देने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की व्यवस्था करना अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए परीक्षा देना।
7. दिए गए विशेष स्थान के अतिरिक्त कहीं पर नाम, रोल क्रमांक लिखना, हस्ताक्षर करना अथवा, परीक्षा पुस्तिका में कोई ऐसा चीज लगाना, जिस से उस अभ्यर्थी की पहचान प्रकट हो।
8. परीक्षक को पैसा देने के लिए अपील करना अथवा उत्तर पुस्तिका में पैसा रखना और संपर्क का ब्यौरे आदि लिखना।
9. उत्तर-पुस्तिका के प्रारंभ/अंत में अथवा कहीं भी नाम अथवा धार्मिक के संकेत जैसे कोई भी संबंध चिन्ह लिखना।
10. परीक्षा हॉल छोड़ने से पहले अपने प्रवेश कार्ड/ हॉल टिकट किसी अन्य स्थान पर उत्तर/ प्रश्न लिखना।
11. किसी भी रुप में अन्य परीक्षर्थियों से बात-चीत करना अथवा कॉपी करना।

12.साथ वाले अभ्यर्थियों से/ को उत्तर-पुस्तिका, स्केल, उपकरण, बॉक्स, हॉल टिकट / प्रवेश कार्ड देना/ वापस लेना/ आदान-प्रदान करना । साथ वाले अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका दिखाना अथवा उन्हें नकल करने देना।

13. परीक्षा के दिन मुख्य उत्तर-पुस्तिका में विषय से संबंधित/ असंबंध पहले से ही लिखी हुई बातों को जोड़ना।

14.हॉल में दी गई उत्तर-पुस्तिका के साथ पर, अभ्यर्थी के द्वारा तैयार की गई अथवा बाहरी व्यक्तियों से प्राप्त उत्तर-पुस्तिका खरीदना।

15.उनके द्वारा उत्तर-पुस्तिका में लिखित प्रश्नों सहित सभी पृष्ठों अथवा कुछ को देने से इंकार करना , जैसा दुर्व्यहार करते हुए पकड़े जाने पर।

16. लिखित बयान देने से इंकार करना, कारण बताओ नोटिस स्वीकार करने से इनकार करना, अनुचित व्यवहार में पकड़े जाने पर परीक्षा हॉल से भाग जाना, छोटे-छोटे करके सामग्री आदि को फाड़कर / निगलकर प्रमाणों को नष्ट करना।

17. न लिखी हुई/ लिखी हुई उत्तर-पुस्तिका को जांच पड़ताल अधिकारी (इनविजिलेटर) को न लौटाते हुए उसे ले जाना ।

18. अपनी उत्तर-पुस्तिका से कागज फाड़ देना।

19. अन्य उमीदवारों की उत्तर-पुस्तिका ले जाने का अथवा उसे खराब करने का प्रयास करना।

20.परीक्षा हॉल के अंदर/ बाहर धमकाने, हिंसा के, बाधा डालने वाले कार्य, अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से रोकना, परिवेक्षकीय स्टाफ आदि से दुर्व्यवहार करना आदि।

21.कोई भी अनुचित व्यवहार करते समय पकडे जाने पर परीक्षा स्टाफ आदि पर शारीरिक रूप से हमला करना अथवा हमले का प्रयास करना परीक्षा।

22.परीक्षा रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचाना।

23.परीक्षा हॉल को आतंकित करने के लिए बाहर के व्यक्तियों की व्यवस्था करना।

24.अंतिम घंटी के बाद परीक्षा लिखना ,इनविजिलेटर के निर्देशों का पालन न करना।

25.किसी भी प्रकार से अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए परीक्षा के संचालन, जांच -पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और परीक्षा परिणामों को घोषित करने से संबंधित किसी व्यक्ति पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष से दबाव डालने के लिए संपर्क करना।

26.परीक्षा में धोखेबाजी करने की व्यवस्था करने अन्य प्रकार का दुराचरण अथवा व्यवस्था।

27.जांच-पड़ताल अधिकारियों (इनविजिलेटर) (को)/ केंद्र अधीक्षक/ भाफिटेसं प्रतिनिधि के द्वारा उस समय निर्धारित किए गए किसी अन्य नियम/ विनियम का उल्लंघन करना।

28. प्रतिशोध की भावना से परीक्षकों की वस्तुओं को नुकसान पहुंचाना।

29. प्रवेश परीक्षा के लिए शुल्क के साथसाथ अंतिम प्रवेश के मामले में शुल्क का भुगतान -

30. उपर्युक्त सूची निर्देशात्मक लेकिन परिपूर्ण नहीं है। भाफ़िटेसं की प्रवेश परीक्षा में किसी भी चरण पर उपर्युक्त अनुचित साधनों/ अनुचित व्यवहार और अथवा सामान्य नियमों/ निर्देशों सहित संयुक्त प्रवेश परीक्षा नियमों का पालन न करते हुए पाए जाने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा।

उपरोक्त सूची सांकेतिक है, लेकिन संपूर्ण नहीं है। यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त अनुचित साधनोंकदाचारों / काप्रयोग करता हुआ पाया जाता है या भाफिटेसं प्रवेश परीक्षा के किसी भी चरण में उक्त भाफिटेसं प्रवेश परीक्षा नियमोंनिर्देशों का पालन नहीं करता है/, तो उसे परीक्षा प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा।

प्रशासन

1.	**श्रीअश्विनी वैष्णव .**	**कुलाधिपति**
2.	श्री आर. माधवन	अध्यक्ष, भाफिटेसं सोसायटी
3.	श्री धीरज सिंह	कुलपति
4.	डॉ. धिरज मेश्राम	संकायाध्यक्ष (फ़िल्म)
5.	श्री संदीप शहारे	संकायाध्यक्ष (टेलीविज़न)
6.	श्री प्रतीक जैन	कुलसचिव
7.	डॉ. अश्विन.सोनोने	परीक्षा नियंत्रणक
8.	श्री. विजय खरात	मुख्य लेखा अधिकारी

च.आवेदन पंजीकरण की प्रक्रिया

अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें:

1. पेमेंट रेफरेंस नंबर एक यूनिक नंबर है, जो SBI Collect के ज़रिए पेमेंट करने के लिए अनिवार्य रूप से ज़रूरी है।

2. SBI Collect के ज़रिए पेमेंट करते समय, केवल वही आवेदन शुल्क राशि जमा की जानी चाहिए जो पोर्टल पर दिखाई दे रही हो।

3. आवेदन फ़ॉर्म में अभ्यर्थी की व्यक्तिगत जानकारी, जैसे नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, SBI Collect के ज़रिए पेमेंट करते समय दर्ज की गई जानकारी से मेल मिलने चाहिए।

4. पेमेंट करते समय (ऊपर दी गई) किसी भी गलत जानकारी के कारण उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

क. आवेदन कैसे करें

1. नीचे दी गई आवेदन पंजीकरण वेबसाइट पर जाएँ।

   http://applyadmission.co.in/भाफिटेसं2025-26/

2. नए अभ्यर्थी, लॉग इन बनाने के लिए 'Register' पर क्लिक करें।

   लॉग इन बनाने के लिए, अभ्यर्थी के पास एक वैध ईमेल ID और मोबाइल नंबर होना चाहिए।

3. इसके बाद अभ्यर्थी को एक सुरक्षित पासवर्ड बनाना चाहिए। एक मज़बूत पासवर्ड सुनिश्चित करें, जो अक्षर और संख्याएँ (अल्फ़ान्यूमेरिक) का मिश्रण हो और जिसमें बड़े और छोटे अक्षर शामिल हों।

4. ऊपर बताई गई अभ्यर्थी की जानकारी दर्ज करने के बाद, जिसमें एक वैध ईमेल आईडी और एक सुरक्षित पासवर्ड बनाना शामिल है, अभ्यर्थी अपनी ईमेल आईडी और सुरक्षित पासवर्ड डालकर लॉग इन कर सकता है।

5. एक वैध ईमेल आईडी और सुरक्षित पासवर्ड के साथ लॉग इन करने के बाद, कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के चयन और पंजीकरण शुल्क के भुगतान के लिए एक नया पेज खुलेगा, जैसा कि नीचे बताया गया है।

चरण-1: आवेदन फ़ॉर्म भरना शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ें।

चरण-2: अभ्यर्थी का नाम, माता, पिता, लिंग, श्रेणी, दिव्यांग (पीडब्लूडी) स्थिति, राष्ट्रीयता आदि जैसी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें और उसके अनुसार संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करें।

चरण- 3: शैक्षिक और योग्यता संबंधी जानकारी दर्ज करें और उसके अनुसार संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करें।

चरण- 4: पत्राचार का पता और स्थायी पता दर्ज करें।

चरण-5: अपनी पसंद के अनुसार प्रोग्राम/कोर्स चुनें। प्रोग्राम/कोर्स के विवरण, कार्यक्रम/पाठ्यक्रम की प्राथमिकताओं और लागू शुल्क के लिए कृपया भाफिटेसं प्रवेश विवरणिका 2025-26 देखें।

चरण-6: अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार लिखित परीक्षा केंद्र चुनें।

चरण-7: अपलोड किए गए दस्तावेज़ों को सत्यापित करें।

चरण-8: शुल्क भुगतान के साथ आगे बढ़ने से पहले आवेदन का पूर्वावलोकन देखें।

चरण-9: फ़ीस भुगतान के लिए आगे बढ़ें।

क. भुगतान करना: आवेदन फ़ीस भरने की प्रक्रिया

- भुगतान करने से पहले, अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आवेदन पत्र में भरी गई सभी जानकारी सही है।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि पेमेंट करने के अगले स्टेप पर जाने से पहले, वे आवेदन पत्र को एक बार फिर से देख लें।
- अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र से अपना भुगतान संदर्भ आईडी और SBI Collect पोर्टल पर दी जाने वाली राशि नोट कर लें।

ख. आवेदन फ़ीस कैसे भरें:

- चुने गए कार्यक्रम/पाठ्यक्रम की संख्या और कैटेगरी के आधार पर, आवेदन पत्र में दिखाई

गई राशि के हिसाब से पेमेंट करें।

- फ़ीस भुगतान के लिए आगे बढ़ने के लिए 'Make Payment via SBI-Collect' पर क्लिक करें।
- अभ्यर्थी को SBI पेमेंट गेटवे (भाफिटेसं प्रवेश परीक्षा 2025-26 के लिए आवेदन फ़ीस) पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।
- अभ्यर्थी का नाम, जन्म की तारीख, मोबाइल नंबर, भुगतान संदर्भ संख्या (Ref. App. Form), ईमेल आईडी जैसी जानकारी भरनी होगी।
- अभ्यर्थी आगे नियम और शर्तों से सहमत होकर और सही Captcha ऑप्शन और Captcha कोड भरकर भुगतान कर सकते हैं। नीचे दिखाए गए स्टेप्स को फ़ॉलो करते हुए SBI Collect पोर्टल पर तय पंजीकरण फ़ीस का भुगतान करें।

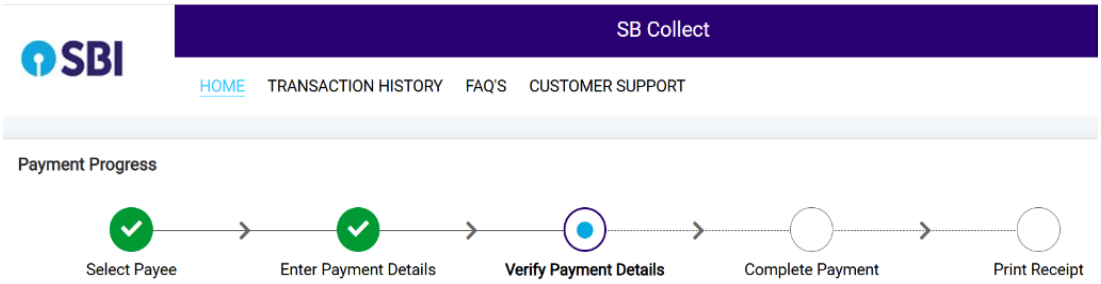

- अभ्यर्थी SBI/दूसरे बैंक की इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/NEFT/RTGS/UPI VPA/QR कोड ऑप्शन का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं।
- भुगतान की पावती को सेव करें या उसका स्क्रीनशॉट/प्रिंट ले लें; इसे बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म में अपलोड करना होगा।

ग. एप्लीकेशन पोर्टल पर SBI Collect के माध्यम से भुगतान विवरण दर्ज करना

भुगतान पूरा करने के बाद, अभ्यर्थी को **SBI Collect Reference Number (DUP)** दर्ज करना अनिवार्य होगा। साथ ही, आवेदन फॉर्म में भुगतान रसीद का **स्क्रीनशॉट अपलोड** करना होगा। :स्वीकार्य फॉर्मेट) **JPG / JPEG / PDF**)

एक बार भुगतान रसीद अपलोड हो जाने के बाद, आवेदन फॉर्म में **कोई संशोधन असंभव होगा**। अभ्यर्थी फॉर्म को **सेव** कर सकता है या उसका **प्रिंटआउट** ले सकता है।

पुणे के बारे में

भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान, पुणे शहर के मध्य भाग में, बहुत सी पहाड़ियों में से एक हनुमान टेकड़ी, जो पुणे को एक हिल स्टेशन जैसा महसूस कराती है, की ढ़लान पर स्थित है। समुद्र सतह से 560 मीटर की ऊँचाई पर डेक्कन प्लेटू के बाहरी किनारे पर स्थित पुणे शहर को इसके सामान्यतः सुहाने मौसम,अच्छी-खासी बरसात और हरियाली के कारण 'क्वीन ऑफ़ डेक्वन' के रुप में जाना जाता है।

17 वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित यह मराठों की विनम्र राजधानी, पेशवाओं के प्रशासन में विकसित हुई और औपनिवेशिक दिनों के दौरान शिक्षा तथा सक्रियता का एक केंद्र बन गयी। यहीं पर सवित्रीबाई और ज्योतिबा फुले द्वारा भारत में सर्वप्रथम महिलाओं के लिए स्कूल चलाया गया था और धोंडो केशव कर्वे द्वारा पहला महिला कॉलेज स्थापित किया गया था। तब से, पुणे कई शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों सहित पूरब में ऑक्सफ़ोर्ड के रूप में उभरा रहा है और यह बड़ी संख्या में अंतरर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ-साथ बाहरी छात्रों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।

इस शहर में भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान के अतिरिक्त पुणे में बडी संख्या में ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय संस्थान भी हैं जैसे कि - राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय (एएफएमसी), राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय(एनएफएआई), राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला (एनसीएल), अस्ट्रोनोमी और अस्ट्रोफ़िजिक्स के लिए अंतर्विश्वविद्यालयीन केन्द्र (आयुका), राष्ट्रीय विषाणु संस्थान (एनआईवी)। कई शोध संस्थानों जैसै भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च, मॅक्स्मुल्लर भवन, ने शहर के शैक्षिक परिवेश और अधिक समृद्ध किया है।

जहाँ युवाओं की निरंतर उपस्थिति पुणे की सड़कों पर जीवंतता लाती है, वहीं पर कई ऐतिहासिक संरचनाएँ शहर की भव्यता को बढाती हैं जैसे कि - 8वीं सदी में राज्य करने वाले राष्ट्रकूट राजवंश के काल में बनाए गए चट्टान को काटकर बनायी गयी गुफ़ा - पातालेश्वर मंदिर, 16वीं शताब्दी के शनिवार वाड़ा का अवशेष और मराठा साम्राज्य की कीर्ति का प्रमाण सिंहगड़ किला, आगाखान पॅलेस जहाँ महात्मा गाँधी को नजरबंद करके रखा गया था, जिसके विषय में कही और अनकही कहानियों की शहर में बौछार हो रही है।

हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत, रंगमंच, थिएटर, नृत्य और साहित्य अपनी समृद्ध परम्परा है, जो आज तक कायम है, पुणे, महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में पहचाना जाने लगा है। सवाई गंधर्व संगीत समारोह जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के रुप में मनाया जाता है, पुणे का द्विवर्षीय विनोद दोशी रंगमंच समारोह जो उच्च स्तरीय रंगमंच है, जो कला, स्थापत्यशास्त्र और संरचना (डिज़ाइन) को एक साथ लाता है, पुणे अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह जैसे कुछ महत्वपूर्ण समारोह हैं जो 'पुणेकरों' (पुणे के निवासियों) द्वारा आयोजित किये जाते हैं। पुरुषोत्तम करंडक और फ़िरोदिया करंडक जैसे अंतरमहाविद्यालय नाटक और कला प्रतियोगिताएँ पुणे के सांस्कृतिक जीवन के अविभाज्य अंग हैं। इस शहर में संग्रहालयों का भी योगदान है- जैसे राजा दिनकर केळकर का संग्रहालय, आदिवासी संग्रहालय और रेलवे संग्रहालय एवं भारत के सर्वप्रथम अत्याधुनिक सुविधायों से युक्त खेलकूद के मैदान का मूलस्थान - श्री शिव छात्रपति स्पोर्टस कॉम्लेक्स, बालेवाड़ी।

हाल ही में अपने सभी औद्योगिक विकास, एक तेजी से बढ़ते हुए मोटर वाहन उद्योग और एक उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र, पुणे, निश्चित रूप से एक छोटे से कसबे की अनोखी महक को बनाये रखने में सफ़ल हुआ है। पूरे शहर में फैले हुए पथरीले दरवाजें और टाइल के छतवाले घर तथा बहुत सी पुरानी बेकरी एवं उपहार गृहों ने पुणे को, रहने, पढ़ने-लिखने, अनुसंधान करने के लिए एवं आनंद से रहने के लिए एक महान स्थान बना दिया है।

पूछताछ :

भाफ़िटेसं अपनी आवश्यकतानुसार विवरणिका 2024-2024 की विषय-वस्तु में किसी नियम में सुधार करने अथवा जोड़ने का अधिकार रखता है। अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए समय-समय पर पाठ्यक्रमों की विषय-वस्तु में संशोधन करने और तकनीक में आयी आधुनिकता, कालबाह्यता तथा अन्य किसी कारण से परिवर्तन करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित है।

पूछताछ :

टेलीफ़ोन : + 91 020 2558 0023

ईमेल : भाफिटेसंet2025-26@भाफिटेसं.ac.in

वेबसाइट : www.भाफिटेसं.ac.in

शुद्धिपत्र / संशोधन, यदि कोई हो तो उसे केवल भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान की

वेबसाइट www.भाफिटेसं.ac.in पर घोषित किया जायेगा।

सावधानी की सूचना

भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान ने अपनी ओर से कार्य करने के लिए किसी भी एजेंट अथवा प्रशिक्षण केंद्र की प्रतिनियुक्ति नहीं की है। अभ्यर्थियों को किसी भी व्यक्ति / एजेंसी द्वारा किए गए ऐसे दावों के संदर्भ में चेतावनी दी जाती है। साथ ही अभ्यर्थियों दलालों और प्रवेश दिलाने वाले जालसाजों से सतर्क / सावधान रहे जो भाफ़िटेसं में प्रवेश दिलाने का झूठा दावा करते हैं। अभ्यर्थियों का चयन पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगा।

ध्यान दें : किसी भी प्रकार की विसंगति की स्थिति में अंग्रेज़ी विवरणिका का संस्करण ही अंतिम एवं आधिकारिक रूप से मान्य होगा।)